महिलाओं के हक में



वामा के प्रयासों का यथार्थ



हमें बदलना पड़ेगा

मै जब छोटी थी तो माँ से सुनती
इसकी शादी तक जमाना बदल जायेगा
बदला मगर ऐसा कि दहेज का दानव
ज्यादा विकराल हो गया
छोटी पैदा हुई तब सोचा
शायद अब जमाना बदल जायेगा
बदला मगर पहले से ज्यादा भयानक लगने लगा
पहले भूखा रखकर या भगाकर धन वसूलते थे
अब जलाकर मारने का डर दिखाते है
बेटी बोली–माँ कब बदलेगा जमाना
बदलते–बदलते युग गुजर गये
पर अब इसे बदलना होगा
समाज को हमारा महत्व समझना होगा
अरे, हम है तो जमाना है
हम नही तो कुछ भी नही
हम नही तो कुछ भी नही।'

प्रकाशक :
वामा (बाल–महिला विकास समिति)

समन्वय कार्यालय :

9-सी, महाराणा प्रताप नगर, जीवाजी क्लब के पास, लश्कर, ग्वालियर - 474011
(म०प्र०) भारत, दूरभाष : 0751-2457438
ई-मेल : vama1988@rediffmail.com bmvs1988@yahoo.com
web site : //http www.bmvs.org

शाखा कार्यालय :

वामा,
लक्ष्मीनारायण सैनी का बगीचा, गोपाल गंज, सागर (म.प्र.)

वामा,
प्लाट नं० 7 श्रीकृष्णा कॉलोनी, दुर्गा नगर, विदिशा (म.प्र.)

वामा,
शीतल नगर, आरटीओ ऑफिस के पास, ग्वालियर रोड, दतिया (म.प्र.)

आलेख:
शेलेन्द्र

तथ्य व जानकारी :

विकास, गुजंन, विष्णू, मुन्ना खाँ, ऋतु, अर्चना, उर्वशी, नीलोफर, धर्मेन्द्र, जयश्री, लक्ष्मी, शोभा, ममता, हेमलता, दीपक, जितेन्द्र, गोविंद, अवधेश, रश्मी, रवि, मुन्नी, अरूण, विवेक, दीप्ती, विशाल, रेशु, दिव्या रत्ना, मोहसिन, मतीनउद्दीन, वीरेन्द्र, रामकरण, दिनेश, बादाम, प्रहलाद, बाल किशन, देवा बाई, उषा, साधना, मनीषा, कपिल, प्रभुदयाल, अभिषेक, श्यामरानी, रामसिंह, बसंती बाई, गोविंद सिंह तोमर, आंनद, जी०पी० शाह, मिलिंद, मुकुल, महेश, रामेन्द्र, हृदेश, रेखा, विनोद, चंदन, मनोज, दीप्ती नयना।

विशिष्ट भूमिका : इन्द्र भूषण

प्रथम संस्करण : जनवरी 2008 (1000 प्रतियां)

सहयोग राशि : 75 रूपये

कम्पोजिंग एवं मुद्रक : अचल कम्प्यूटर्स एण्ड ऑफसेट प्रिंटर्स, ग्वालियर

इस पुस्तक में क्षेत्र से सम्बन्धित तथ्यों व आंकड़ों के अतिरिक्त जो भी विचार प्रस्तुत किये गये हैं वह वामा के नहीं है। प्रस्तुत विचारों पर प्रतिक्रिया के लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं। पुस्तक की सामग्री का स्वतंत्रता से उपयोग किया जा सकता है, स्त्रोत का उल्लेख करें तो हमें खुशी होगी।

(केवल निजी वितरण हेतु)

कौन - कहाँ

क्या कसूर था मेरा जो मिली सजा	1
मिल-जुलकर देंगे टक्कर	2 - 3
दहेज का जहर	3 - 4
उजड़ी गृहस्थी फिर हुई आबाद	4 - 5
शराब, अब कभी नहीं	6
आखिर खुशियों को लौटना ही था	7 - 8
प्रसव के दर्द से भी दर्दनाक	8
अब ग्राम सभा में विकास के मुद्दे	9
मिसाल - बेमिसाल	9
सरकार के भरोसे कब तक	10
परिवर्तन के संकेत	10 -11
देरखी की मीरा	12
दहेज प्रताड़ना का दर्द सुखन में बदला	13
मेरे बच्चे ने मुझे सिखाया	14
अभी तो जंग बाकी	15
कैसी दुविधा में फंसी राजबाला	16
व्यवस्थाऐं हमें ही सुधारनी होंगी	17
पानी के लिए एक संषर्घ	18
पहल तो करनी ही होगी	19
जब तलाक ही बचा अंतिम विकल्प	20
घर की शांति के लिए बंटवारा	21 - 22
महिलाओं के अधिकार के लिए	22
जन्मांथ के बिखरते ख्वाब	23
ममता बनी ढाल	24
तलाक - तलाक - तलाक	25 - 26
कच्ची मिट्टी को दिया सही आकार	27
मनमोहक नृत्य की असहनीय पीड़ा	28
प्रेमा, राजाबेटी और किशनदेही	29-30
आंखों में आशा के टिमटिमाते सितारे	30-31
ग्रामसभा का महत्व अब समझ आया	31
छोटी - छोटी बचत से बड़े प्रयास	32
वनवासियों पर वन सुरक्षा का दायित्व	33
नई सुबह का आगाज होगा जरूर	34
दूर हुए गिले - शिकवे	35
दौलतमंद गरीब	35
गरीबी की मौत मरी मरी बाई	36

समय की रेत पर पावों के निशान

'वामा' के सक्रियता भरे यह दो दशक अपने अनुभवों की परिपक्वता एवं नये अवसरों के साथ अपने हस्तक्षेप को बनाये रखने की सीख निर्मित करने से परिपूर्ण रहे हैं, जिन्हें आज प्रमाण की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है।

लोगों के जख्म गहरे हैं, पीड़ाओं से जिस्म कंकाल से हो चले हैं। कैसे करूं वह सब कुछ, जिससे लोगों का जीवन सार्थक हो सके। पूर्व राष्ट्रपति श्री केआर नारायण के शब्दों में– 'मस्तिष्क की पदार्थ पर विजय' के लिए काम कर रहे हम लोग, असल में मानवीय आत्मा की अपने मस्तिष्क व स्वभाव पर विजय के लिए काम कर रहे हैं।' प्रभाव स्पष्ट हों, इसके लिए आवश्यक पहल व्यापक स्तर पर करना जरूरी है और निश्चित ही 'वामा' ने इस दिशा में कदम बढ़ाये हैं। संघर्ष लोगों का है, नेतृत्व लोगों का है और प्रतिफल भी लोगों का है। शोषण व दमन के खिलाफ जन–पहल व परिवर्तन की जो वानगी इस पुस्तक के विभिन्न घटनात्मक विवरणों में दिख पड़ती है, उसे सभी साथियों ने पूरी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ।

ग्रामीण विकास में अभिरूचि रखने वाले और ग्रामीण पृष्ठभूमि व परिवेश से जुड़े लोगों के लिए यह पुस्तक उपयोगी साबित हो सकेगी।

इसी विश्वास के साथ...

जनवरी 2008

आपका विश्वासी

इन्द्र भूषण



क्या कसूर था मेरा जो मिली सजा

बत्तीबाई की मौत और दबंगो से कल्याण सिंह का संघर्ष

सुदूर अंचल में स्थित एक आदिवासी गांव की अशिक्षित भोली-भाली लड़की, जिसके जीवन के सतरंगी सपनें कुछ ही पलों में तिरोहित हो गये। काल के क्रूर चक्र ने असमय ही मानवीय वहशीपन की इबारत से उसके जीवन की कहानी का अंत कर दिया।

सागर से 32 किलोमीटर दूर, सागर-दमोह रोड पर चनौआ कस्बा पड़ता है। इसी चनौआ से उत्तर की ओर एक कच्ची सड़क दरारिया के लिए जाती है। इस सड़क पर 7 किलोमीटर चलने के पश्चात एक माता का मंदिर आता है। यहां से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ पर स्थित है, ग्राम 'मुर्गा'। मुर्गा कंदला ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक आदिवासी बाहुल्य गांव है। इस गांव के लोग अशिक्षित व गरीब हैं। इस गांव में कल्याण सिंह आदिवासी का परिवार भी रहता है, जिसमें कल्याण सिंह के अलावा उसकी पत्नी, 4 बेटियां तथा एक बेटा है। 2 एकड़ जमीन का मालिक कल्याण गरीबी की मार से जूझता एक सीमांत कृषक था और जैसे-तैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। उसकी बेटी बत्ती पढ़-लिख तो नहीं पायी, पर वह घर के कामकाज करने में कुशल थी। बत्ती की उम्र 16 वर्ष होते ही कल्याण सिंह ने उसके लिए घर देखना शुरू कर दिया। अंततः उनकी तलाश सानौधा थाने अंतर्गत ग्राम खिरिया के पुरुषोत्तम आदिवासी के घर जाकर समाप्त हुई। पुरुषोत्तम के बड़े बेटे हल्लू को उन्होंने बत्तीबाई के जीवनसाथी के रूप में चुना और अप्रैल 2004 में बत्तीबाई की शादी हल्लू से कर दी गई।

शादी के बाद दो साल तक सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा, लेकिन बत्तीबाई के ससुराल वालों को उससे काम न करने और ठीक से बात न करने की शिकायतें रहती थी। ससुराल पक्ष की शिकायतों का परिणाम इतना भयानक भी हो सकता है, किसी ने यह नहीं सोचा था। 22 मार्च 2006 की सुबह कल्याण सिंह के परिवार के लिए ग्रहण बन कर आई और खुशियों को लील गई। खबर मिली की उनकी बेटी बत्तीबाई की मृत्यु हो गई है। स्थिति का दारुण पक्ष यह था कि उन्हें यह दुखद खबर भी ससुराल पक्ष से न मिलकर ग्राम सलैया के किसी व्यक्ति से पता चली। बत्तीबाई को मारकर एक कमरे के अंदर फांसी पर लटका दिया गया था और कमरे को बंद कर दिया गया था। यही नहीं अपनी करतूत के सबूत मिटाने की कोशिश भी की गयी। तीन-चार दिन बाद जब लाश की बदबू कमरे की चारदीवारी से बाहर आने लगी, तो कुछ प्रभावशाली लोगों की मदद से दरवाजा खुलवाया गया। बत्ती की इतनी दुर्दशा होने के बाद उसके पिता को खबर लगी कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी बेटी की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कल्याण सिंह ने कई प्रयास किये। प्रबल राजनीतिक संबंध व धनाढ्य होने के कारण आरोपी हल्लू और पुलिस के बीच सांठ-गांठ हो चुकी थी। इसके चलते कल्याण सिंह की प्राथमिकी पर पुलिस कार्यवाही तो हुई, पर पुलिस का रवैया निष्पक्ष नहीं था। बत्तीबाई की हत्या में बराबर के साझेदार आरोपी के माता-पिता पुलिस हिरासत से दूर थे और इस मामले में उनका जिक्र भी नहीं हुआ था। इधर सानौधा थाने के कुछ सिपाही कल्याण सिंह से रुपये ले आये। बावजूद इसके सिपाहियों की अन्य मांगें अभी भी बरकरार थी।

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एक तो उचित कार्यवाही नहीं हुई और दूसरी ओर आरोपियों द्वारा कल्याण सिंह को राजीनामा के लिए लगातार धमकाया जाने लगा। 'वामा' कार्यकर्त्ता विकास और हरीशरण कल्याण सिंह की मदद को आगे आये। उन्होंने आरोपी को सजा और कल्याण सिंह को न्याय दिलवाने के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिये। दोनों ने सबसे पहले स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक के माध्यम से इस पूरे प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि वे आरोपी हल्लू को इस कुकृत्य की सजा दिलवाने में हरसंभव प्रयास करेंगे। गांव में एक महिला स्वसहायता समूह गठित है, जो उपकार समूह के नाम से जाना जाता है। इस समूह की महिलाओं ने विकास और हरीशरण के साथ संबंधित थाने तथा पुलिस अधीक्षक के समक्ष दस्तक दी और दोषी के खिलाफ तुरंत कार्यवाही करने की मांग की। साथ ही इन लोगों ने चेतावनी भी दी कि अगर दोषी के खिलाफ जल्द कार्यवाही नहीं हुई, तो वे भूख हड़ताल, धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। समूह की महिलाओं के इस साहसिक कदम के परिणामस्वरूप पुलिस ने तुरंत ही प्राथमिकी दर्ज की। यही नहीं 15 दिन के अंदर ही आरोपी हल्लू को धारा 302 के तहत बत्तीबाई की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हल्लू ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। आज हल्लू अपने इस जघन्य कृत्य के लिए जेल में सजा काट रहा है।

इस प्रकार संगठित महिलाओं ने एक दबंग व्यक्ति को उसके कुकृत्य की सजा दिलवाई और नारी पर होने वाली हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद की। अन्याय के खिलाफ उठी महिलाओं की यह आवाज एक करारी चोट है उन लोगों के लिए, जो समाज में महिलाओं पर हिंसा कर अपने रुतबे के दम पर बच निकलने का भ्रम पाल बैठे हैं।

मिल-जुलकर देंगे टक्कर



नीमा बाई



चंपा बाई

अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई महिलाएं

आज हम रूबरू होंगे उन दो महिलाओं से, जो एक ही परिस्थिति में रहते हुए मानवीय पिशाचों के दुष्कृत्य का शिकार हुई। दोनों का गांव एक है, पीड़ा भी एक है और दोनों ने अपने साहस की जो कहानी लिखी है, उसमें अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज है, तो आरोपियों को सजा दिलवाने तक का संघर्ष।

सागर जिला केंद्र से कुछ किलो मीटर की दूरी पर वसा हुआ है कपूरिया गांव। वही ग्रामीण परिवेश, जो अमूमन सामान्य गावों का होता है। ऊपरी तौर पर एकदम साफ और सामान्य दिखने वाली मिश्रित जातियों की यह बसाहट अपने अंदर परिवर्तन की चिंगारियां दबाये हुये है। गांव में प्रवेश करते ही वामा कार्यकर्ताओं का पहला पड़ाव था, गांव के ही गुल्ले भदौरिया का घर। यहां उन्हें मुलाकात करनी थी, श्रीमती नीमा बाई से। नीमा बाई की उम्र चालीस के आस पास थी। चेहरे पर समय की परछाईयां लकीरों के रूप में कालचक्र के पूर्व ही अपनी छाप छोड़ने लगी थी। आंखें नीची, सर पर साड़ी का पल्ला आंखों से नीचे तक जाता हुआ, साधारण सा घर, दीवारें कच्ची, खपरेल की छत और सीमित गृहस्थी के संसाधन अपनी कहानी खुद ही कहते थे। संस्था के कार्यकर्ता जब उससे मिले, तो अनजाने चेहरों को देखकर उसकी आंखों में अनगिनत प्रश्न चिन्ह उभर आये थे। कही-अनकही व्यथाओं का दर्द लिए नीमाबाई ने सहज ग्रामीणी स्वागत भरे शब्दों में संस्था के कार्यकर्ताओं को बैठने का इशारा किया।

आज से 26 साल पहले आंखों में सुनहरे सपने लिए वह इस गांव में नंदलाल भदौरिया की पत्नी के रूप में आई थी। उनके पास न जमीन थी और न खेती-बाड़ी। मजदूरी से जो कुछ मिल जाता था, उसी से वह अपने परिवार को अच्छी तरह चला रही थी। नीमा का सौभाग्य विधाता से देखा नहीं गया। दो साल के भीतर ही उसके पति का साया उससे दूर हो गया। अकेली नीमा को समाज की लोलुप निगाहों का सामना करना पड़ रहा था। बावजूद इसके वह अपनी जिंदगी के बचे दिन एकाकी रूप में निकाल रही थी। उसके हिस्से की तकलीफों का अंत अभी नहीं हुआ था। वर्ष 2003 उसके जीवन में अभिशाप बनकर आया। एक शाम जब वह खेत से काम करके घर लौट रही थी, तो बीच में ही उसे कमल यादव एंव गंगाराम यादव मिल गये। दोनों ने उस मासूम के साथ जबरन बलात्कार किया। इस घटना और इसके बाद उठे तूफान ने नीमा बाई की जिंदगी में कितने ही चक्रवात खड़े कर दिये।

गरीब, कमजोर और बेबस अकेली नीमा उस सम्पन्न और राजनैतिक प्रभुत्व वाले यादव परिवार का आखिर क्या बिगाड़ सकती थी ?नीमा के स्वयं सहायता समूह की सब महिलायें भी परेशान थी कि आखिर क्या किया जाये ?नीमा ने सोचा उसका कोई नहीं है और उसे अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। वह थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। इसका कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे थे। नीमा को न्याय दिलाने के लिए धीरे-धीरे गांव की सारी महिलायें संगठित हो चुकी थीं। उन्होंने फैसला किया कि इस समस्या को पंचायत में उठाया जाये। बस सभी महिलायें जा पहुंची पंचायत में। मामले को गंभीरता से लेते हुए पंच-सरपंच ने महिलाओं व वामा कार्यकर्ताओं के साथ सागर के पुलिस अधीक्षक से मिलने का निश्चय किया। इस तरह नीमा संघर्ष करते हुए, बाधाओं को पार करते हुए सीढ़ी दर सीढ़ी थाने, थाने से जिला केंद्र, जिला केंन्द्र से कोर्ट तथा कोर्ट में जिरह की प्रक्रिया के गंदे सवालों से गुजरती हुई आगे बढ़ी। अंततः उसका संघर्ष रंग लाया। नीमा जीत गई। बलात्कारी को धारा 376ए 323ए 324 व 506 'ब' के तहत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 10 साल की कैद व 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। नीमा की हिम्मत ने गांव व समूह की

महिलाओं में हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ा दिया। अब महिलायें अपने खिलाफ होने वाली हिंसा के विरुद्ध संघर्ष करने लगी हैं। इसी गांव के दूसरे छोर पर रहने वाली चम्पाबाई की कहानी भी कुछ ऐसे ही दृश्य दिखाती है। जब वामा कार्यकर्त्ता विकास, रश्मि और हरिशरण उससे मिलने पहुंचे, तो वह कुछ बोल ही नहीं सकी। 26 साल की चंपाबाई के चेहरे पर हंसी कभी आई होगी, देखकर लगता ही नहीं था। पिता प्यारेलाल ने 14 साल की उम्र में ही उसे फतेहपुर कुढ़ा निवासी नागराज से बांध दिया था। चंपा शादीशुदा जिंदगी के सपने भी ठीक से नहीं देख पायी थी कि पति ने उसे छोड़ दिया। मजबूर चंपा पिता के पास कपूरिया में रहने लगी, पर समाज को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने चंपा के पिता पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मजबूरन चंपा के पिता ने चंपा को खुरई निवासी शिव सिंह के साथ विदा कर दिया। शिवसिंह कृषक मजदूर था। वह भी कपूरिया आ गया और यहां मजदूरी कर चंपा के साथ जिंदगी गुजारने लगा। यहां ठाकुर परिवार ने शिव सिंह को रहने के लिए घर और काम करने के लिए अपनी जमीन दे दी, लेकिन उस ठाकुर की निगाह चंपा पर थी। वर्ष 2005 की बात है, एक दिन मौका पाकर मोहनलाल भदौरिया ने चंपा का बलात्कार किया। इस घटना से फिर वही संघर्ष शुरू हो गया, जो नीमा बाई ने किया था। नीमा के साथ हुए अन्याय व उसके संघर्ष से महिलायें सजग व संगठित हो चुकी थीं। परिणामस्वरूप धारा 323ए 324ए 376 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ और मार्च 2006 में आरोपी को सात साल की सजा भी हो गई। चंपा को न्याय तो मिल गया, लेकिन अब चंपा के प्रति उसके पति का बर्ताव बदल गया। वह साथ तो रहता था, पर उसे प्रताड़ित और उपेक्षित करने लगा। चंपा के पास अपनी कोई जमीन या सम्पत्ति नहीं थी। अब चंपा के सामने नए प्रश्न थे, नई समस्या थी कि अब वह क्या करे, कहां जाये? चंपा के पुनर्वास के लिए महिलायें पुनः सक्रिय हुईं। समूह की महिलाओं ने उसे अपने साथ सिलाई-कढ़ाई व अगरबत्ती निर्माण जैसी गतिविधियों में शामिल कर लिया। उसे स्वाबलंबी व सशक्त बनाकर सहारा दिया। उसी का परिणाम है कि आज चंपा बाई खुद का सिलाई सेंटर चला रही हैं।

दहेज का जहर

बेटी की आत्मा को दी सच्ची श्रद्धांजलि



ससुराल की प्रताड़ना, दहेज की मांग और फिर एक नवविवाहिता का करुण अंत। बार-बार यह दुखद घटना सामने आकर इतिहास के काले धब्बों को और गहरा करती रही हैं। प्रियंका के साथ जो कुछ हुआ, वह नया तो नहीं था, लेकिन समाज के लिए शर्मनाक जरूर था।

दरारीया गांव सागर जिले के रहेली ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इसी गांव में नरेन्द्र कुमार चौबे का परिवार रहता है। उनके दो बेटे राहुल और गोविंद तथा एक बेटी प्रियंका थी। हाई स्कूल तक पढ़ी प्रियंका के 18 साल की होते ही माता-पिता ने उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दी। रिश्ता खुरई ब्लॉक अंतर्गत सेवान गांव के मुरली मनोहर मिश्रा के बड़े बेटे बृजेश कुमार मिश्रा के साथ तय हुआ। बृजेश शहडोल जिले के कृषि विभाग में भृत्य के पद पर कार्यरत था।

प्रियंका का रिश्ता अच्छे परिवार में तय हुआ था। इसी खुशी में नरेन्द्र ने अपनी हैसियत से अच्छी शादी करने का मन बनाया। वर पक्ष ने 5000 रुपये, कलर टीवी, कूलर, पंखा, पलंग, गोदरेज अलमारी व अन्य सामानों की मांग की। नरेन्द्र ने वर पक्ष की मांगें मान ली। रकम व सभी समान शादी के बाद देने का कहकर 9 मई 2005 को अपनी बेटी की शादी कर उसे विदा कर दिया। रक्षा बंधन पर जब प्रियंका पहली बार मायके आई, तो उसके साथ मांगों की एक पूरी सूची थी। प्रियंका के पिता से फिर 5000 रुपये की मांग गई थी। दूसरी विदाई के बाद ससुराल पक्ष ने सामान व पैसे के लिए प्रियंका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पिता ने सामाजिक मर्यादा का पालन करते हुए 17 जनवरी को प्रियंका को देवर अवधेश

के साथ ससुराल भेज दिया। इससे पहले प्रियंका तभी ससुराल जाती थी, जब उसका पति आया करता था। इस बार ससुराल जाते हुए प्रियंका को इस बात का अहसास भी नहीं था कि मायके से यह उसकी अंतिम विदाई है। माता-पिता भी इस बात से अनजान थे। वह तो अपनी बेटी को लिवाने जाने वाले थे। फसल अच्छी हुई थी। मां ने अलमारी, टीवी खरीदकर रखी थी, प्रियंका को देने के लिए। इस बार वे वर पक्ष की सभी मांगों को पूरा करना चाहते थे, लेकिन इधर कुदरत कुछ अलग ही खेल खेल रही थी। पिता की निसहाय स्थिति, परिवार की मजबूरियां, ससुर की प्रताड़ना और उस पर पति की उपेक्षा ने प्रियंका को तोड़कर रख दिया। वह 10 माह के वैवाहिक जीवन में दुनिया की घृणित तस्वीर देख चुकी थी। इन सबके चलते 11 फरवरी 2006 को प्रियंका ने सल्फास खा लिया। पिता को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उनका कहना था कि मेरी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। उसे साजिश करके जहर दिया गया है या जहर खाने पर मजबूर किया गया है। प्रियंका के पिता ने एसपी आफिस में 20 फरवरी 2006 को शिकायत दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आवेदन दिया। एक माह बीत चुके थे और प्रिंयका की मौत के जिम्मेदार खुले आम घूम रहे थे।

गांव में सबला परियोजना का क्रियान्वयन आरंभ हो चुका था। लोग परियोजना के उद्देश्य से परिचित हो रहे थे और इससे जुड़ने लगे थे। जब प्रियंका के पिता को भी परियोजना के बारे में पता चला, तो वह वामा कार्यकर्ता विकास व हरीशरण से मिले। उन्हें आपबीती सुनाई और न्याय के लिए मदद करने की बात कही। वामा कार्यकर्ता प्रियंका के पिता के साथ पुलिस अधीक्षक से मिले और पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस अधीक्षक ने इस पर तत्काल कार्यवाही की। उन्होंने फोन पर संबंधित थाने से मामले की हकीकत जानी। साथ ही थाना प्रभारी को आदेशित किया कि वह तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करें। थाना प्रभारी ने दलबल के साथ खुरई जाकर धारा 323ए, 324ए, 302 के तहत बृजेश मिश्रा को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश किये जाने पर बृजेश मिश्रा को जेल भेज दिया गया इस प्रकार वामा के प्रयास से प्रियंका को न्याय मिला तथा प्रियंका के हत्यारों को सजा। समाज के उन दहेज लोभियों के लिए यह घटना चेतावनी है, जो दहेज के लालच मे मासूम लड़कियों की जिंदगी छीन लेते हैं और किसी चोर रास्ते से बच निकलने की कोशिश करते हैं।



उजडी गृहस्थी फिर हुई आबाद

घरेलू हिंसा के खिलाफ एक नारी का संघर्ष

वह तो सुनहरे सपनें लेकर ससुराल गई थी, लेकिन मेंहदी के रंग के साथ उसके सपनों के रंग भी फीके पड़ने लगे। शादी के कुछ महीने बाद ही पति की हकीकत उसके सामने आने लगी। उसे नरकीय जीवन की एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी, जिसमें कष्ट, प्रताड़ना और हैवानियत के जाने कितने तूफान थे। इन तूफानों ने उसके मन-मस्तिष्क को हिलाकर रख दिया।

यह कहानी है, ग्राम गडपैरा (भोजपुरा) की संगीता विश्वकर्मा की। परिवार में एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई और दो छोटी बहनें तथा साथ में लाचार मां-बाप। संगीता थोड़ा बहूत पढ़ी-लिखी और घर के कामकाजों में कुशल थी। लड़की के जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मां-बाप को उसके हाथ पीले करने की चिंता होने लगती है। संगीता के मां-बाप के लिए भी यह चिंता स्वाभाविक थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों व परिचितों के माध्यम से योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। गौरझामर बिजौरा में उन्हें योग्य लड़का मिल गया। गौरझामर बिजौरा के राजाराम विश्वकर्मा के बेटे रामकिशन से संगीता का विवाह कर दिया गया, जिसे करीब तीन साल हो गये।

संगीता के पति रामकिशन में सभी अवगुण मौजूद थे। जुआ से लेकर सट्टा, शराब, वेश्यावृत्ति और गुंडागर्दी उसके शौक थे। वह अपने शौकों को दिनचर्या के कामों की तरह पूरा करता था। शादी के तीन माह तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे-धीरे रामकिशन का असली रंग सामने आने लगा। रामकिशन के इस रंग को देखकर संगीता के होश उड़ गए। अपने सुखी व सफल जीवन के सपने को टूटता देख उसने अपने मां-बाप को इस बारे में बताया। जब रामकिशन

को इस बात की भनक लगी, तो लाते-घूंसों और बेल्ट से संगीता की पिटाई हुई। संगीता अपनी मां से 5000 रुपये लेकर आई थी, ताकि वह अपनी गृहस्थी की खस्ता हालत को सुधार सके, लेकिन अपनी जान बख्शने के इबज में रुपये अत्याचारी पति को देने पड़े। कहावत है कि एक बार शेर के मुंह मे खून लग जाए, तो वह और भी खूंखार हो जाता है। रामकिशन को भी ससुराली पैसों का चस्का लगा चुका था, क्योंकि उसे बिना किसी मेहनत के पाया जा सकता था। अब संगीता का संकट बढ़ गया। आए दिन उसे पीटा जाने लगा, मायके से पैसे (दहेज) लाने की मांग रखी जाने लगी। इस पूरे मामले में रामकिशन के मां-बाप का कोई दोष नहीं था। रामकिशन अपने मां-बाप को भी बुरी तरह से प्रताड़ित करता था। अपने ऊपर आए संकट को टालने के लिए संगीता दो-चार बार मायके से पैसा तो ले आई, लेकिन हर बार पैसों की मांग को पूरा न कर पाने पर संगीता पर हो रहे जुल्म दिन-ब-दिन बढ़ने लगे। उसे मारपीट के अलावा भूखा भी रखा जाने लगा। संगीता को इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि उसकी मानसिक स्थिति काफी बिगड़ गई। मां ने एक बार हिम्मत कर अपनी बेटी को अपने घर लाकर उसका इलाज कराया। संगीत की स्थिति में सुधार भी हुआ। रामकिशन फिर लड़-झगड़कर संगीता को अपने साथ ले गया। घर (ससुराल) पहुंचने के बाद उसकी हालत मरणासन्न जैसी कर दी गई। एक दिन तो संगीता को मारने के लिए रामकिशन ने कुल्हाड़ी उठा ली। इसी बीच झगड़े के शोरगुल से पड़ोसी वहां पहुंचे गये और रामकिशन से कुल्हाड़ी छीन ली। उस दिन संगीता की जान बच गई। शराब व सट्टे का कर्ज काफी बढ़ चुका था। रामकिशन ने अपना घर कर्जे और अय्याशी की भेंट चढ़ा दिया। संगीता ने हिम्मत कर अपनी मां के साथ रामकिशन द्वारा जान से मारने की कोशिश की लिखित शिकायत संबंधित थाना (केंट थाना) में की। थाने में इसकी औपचारिकता तो पूरी हुई, लेकिन आगे कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इससे रामकिशन के हौसले और बढ़ गये। अब रामकिशन संगीता को नरकीय यातना देने लगा। इसी बीच संगीता गर्भवती हो गई। इस स्थिति में संगीता और होने वाले बच्चे के खर्च से घबराकर रामकिशन उसे मायके छोड़ आया। यहां संगीता ने एक स्वस्थ्य लड़के को जन्म दिया। इस दौरान संगीता की हालत एक-दो बार बिगड़ी भी। सास (संगीता की मां) ने अपने दामाद को इसकी खबर भी दी और उसे यह भी बताया कि पैसों की बहूत जरूरत है। संगीता पर काफी पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन रामकिशन न तो उससे मिलने आया और न ही उसकी खैर-खबर ली। आखिर मां ने अपने रिश्तेदारों व परिचितों से कर्ज लेकर संगीता का इलाज करवाया। संगीता की मां वामा संस्था द्वारा चलायी जा रही सबला परियोजना के तहत गठित सबला समूह के संपर्क में आई। उन्होंने समूह की महिलाओं को अपनी समस्या बताई। समूह की महिलाओं ने संगीता की मां को सलाह दी कि वह रामकिशन के खिलाफ थाने में शिकायत करे। साथ ही यह विश्वास दिलाया कि सबला समूह की महिलायें इस लड़ाई में हर कदम पर संगीता के साथ हैं। संगीत की मां ने वामा कार्यकर्ताओं के साथ महिला पुलिस थाने में रामकिशन की लिखित शिकायत की। इसकी खबर लगने पर रामकिशन, जो आपराधिक प्रवृत्ति का था, अपने चार साथियों के साथ संगीता और उसकी मां को धमकाने लगा। उन्हें अपहरण कर जान से मारने की धमकी देने लगा, लेकिन इस बार संगीता और उसकी मां इस गीदड़-भपकी से डरने वाली नहीं थी। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने फिर थाने में रामकिशन की शिकायत और पुलिस सुरक्षा की मांग भी की। थाना प्रभारी ने तुरंत ही रामकिशन को गिरफ्तार करने के आदेश दिये और मां-बेटी को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई।

रामकिशन इस बार असहाय हो चुका था, इसलिए उसे झुकना ही बेहतर समझा आया। अब वह अपनी पत्नी व सास से माफी मांगने लगा, भविष्य में ऐसा न करने की कसम खाने लगा और विनती करने लगा कि केस वापस ले लें। लेकिन अब संगीता रामकिशन के साथ जीना नहीं चाहती थी और न ही उसके अत्याचार सहना चाहती थी। अपने पति से अलग होने के लिए संगीता ने अपने मां-बाप के साथ थाने में गुहार लगाई। थाने में दोनों पक्षों को सामाजिक मर्यादा और संस्कारों के बारे में विस्तार से समझाया और संगीता की गृहस्थी को टूटने से बचाने की कोशिश की गई। महिला पुलिस थाने में रामकिशन ने लिखित में कसम खाई कि भविष्य में वह संगीता के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करेगा। उसे हर तरह से खुश रखेगा।

इस तरह संगीता ने अपने पर हो रही घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई और एक लम्बी लड़ाई लड़ी। अंततः उसे न्याय मिला तथा उसका घर फिर से बस गया।

शराब, अब कभी नहीं

वामा की मेहनत ले ही आई रंग

जब परिवार का मुखिया शराब में डूबता है, तो वास्तव में वह पूरे परिवार की खुशियां प्याले में भरकर पी जाता है। परिवार जब आर्थिक तंगी में लिपटा हो, तो स्थिति और भी बदत्तर हो जाती है। रात-दिन का झगड़ा, गाली-गलौच, मारपीट और अंततः यह तूफान या तो अलगाव के साथ थमता है, या किसी एक की मौत पर। लेकिन उचित परामर्श से इस तूफान को टाला जा सकता है।

कल्लू पटेल सागर जिले के रहेली विकासखंड अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कंदला में रहता है। एक समय था, जब कल्लू को शराब की लत इस हद तक लग चुकी थी कि वह अपनी कमाई का एक तिहाई हिस्सा नाशखोरी में बहा दिया करता था। इस पर भी कसर रह जाती, तो पत्नी की मेहनत की कमाई भी बोतल में झोंक देता। शराब के लिए पैसों को लेकर अक्सर पति-पत्नी में झगड़ा होने लगता और कल्लू मारपीट पर उतर आता।

15 मई 2006 को तो कल्लू ने हदें पार कर दीं। उसके पास शराब के लिए पैसे नहीं थे। वह अपनी पत्नी से पैसे मांगने लगा। जब पत्नी ने पैसे देने से मना कर दिया, तो कल्लू ने उसे बुरी तरह मारा। उसी रात साढ़े दस बजे कुल्लू नशे में धुत होकर घर पहुंचा और फिर पत्नी की पिटाई



करने लगा। इतना ही नहीं उसे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी पत्नी क्या करती। तभी उसे याद आया वामा कार्यकर्ता प्रीतम, जो उसके गांव कंदला से एक किलोमीटर दूर ग्राम दरारिया में अपने परिवार के साथ रहता है। प्रीतम समय-समय पर कंदला आकर पैक्स परियोजना अंतर्गत महिलाओं के सशक्तिकरण, अधिकार व संगठन निर्माण के कार्य करता रहता है। कल्लू की पत्नी के लिए प्रीतम ही आशा की एक किरण थी। रात को ही वह प्रीतम के घर पहुंची और अपनी दास्तां बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद प्रीतम वामा से जुड़े सहायक ग्रामीण कार्यकर्ता सुरेन्द्र के साथ कल्लू से मिला। प्रीतम ने शराब से होने वाली बर्बादी के विषय में कल्लू को समझाया। साथ ही पत्नी से किये दुर्व्यवहार के एवज में भुगतने वाली कानूनी सजा की बारे में भी बताया।

इस दबाव और सजा के डर से सहमकर कल्लू अपनी पत्नी से माफी मांगने के लिए तैयार हो गया। उसने भविष्य में शराब को हाथ न लगाने की कसम खाई। कल्लू की पत्नी और वामा कार्यकर्ताओं की मेहनत अंततः रंग लाई।

सच्ची सफलता

सदा मुस्कराना और सबको प्यार करना
गुणी जनों का सम्मान पाना
बच्चों के दिलों में रहना
सच्चे आलोचकों से स्वीकृति पाना
झूठे दोस्तों की दगाबाजी को सहना
खूबसूरती को सराहना
किसी उम्मीद के बिना
दूसरों के लिए खुद को अर्पित करना
उत्साह के साथ हँसना और खेलना
और मस्ती भरे तराने गाना
इस बात का अहसास कि
आपकी जिन्दगी ने किसी एक व्यक्ति का
जीवन आसान बनाया है
यही सच्ची सफलता है ।



आखिर खुशियों को लौटना ही था..

परिवार परामर्श केंद्र की सार्थक भूमिका

रानी ने बीए तक की पढ़ाई की है और उसने गांव की अन्य लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए काफी प्रयास भी किये हैं। वह काफी समझदार है। इसके बावजूद मसवासी गांव में रहने वाली इस लड़की को ससुराल में यातनायें भोगनी पड़ी। दरअसल तकदीर के साथ उसका संघर्ष तो बचपन से ही शुरू हो गया था, लेकिन खुशियां कब तक उसे अपना दामन बचा पातीं ? उन्हें तो रानी की जिंदगी में लौटना ही था।

रानी दस साल की थी, जब उसके सिर से बाप का साया उठ गया। घर की आय के दो ही साधन थे– चार एकड़ जमीन और मजदूरी। जमीन तो बहनों की शादी के वक्त ही बिक गई। घर में बूढ़ी मां थी, जिसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी थी। घर चलाने का अब एक ही रास्ता बचा था, मजदूरी। मजबूर होकर रानी को मजदूरी करनी पड़ती थी। सालभर में छह महीने तो बेकारी में गुजर जाते, बाकी छह महीने के काम से जो मिलता वह घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इस स्थिति में घर के हालात बद से बदत्तर हो गए थे। बढ़ती उम्र के साथ ही उसकी परेशानियां भी बढ़ती गई। लोगों की वासना भरी नजरें उसे ताकने लगीं। मजदूरी के दौरान उसे छींटाकशी और छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता। मां ने इन सब परेशानियों के चलते हुए बेटी के हाथ पीले करना ही उचित समझा। रानी बेलाखेड़ा निवासी मुन्नालाल राय के बेटे सत्यनारायण के साथ ब्याह दी गई।

सत्यनारायण के बाप ने पहली पत्नी के गुजर जाने पर दूसरी शादी की थी। सौतेली मां ने सत्यनारायण को पाला–पोसा था। सत्यनारायण देशी शराब का ठेकेदार था। उसके पिता और स्वयं उसके पास काफी धन–दौलत थी। इसके बावजूद उन्होंने शादी के समय रानी के परिवार वालों नगदी रुपये और जेवर की मांग की, जिसे किसी प्रकार पूरा कर दिया गया। घर में बहू आ जाने से सत्यनारायण का प्यार व पैसा बंट जाना मां–बाप को खलने लगा। सास–ससुर रानी को आये दिन परेशान करने लगे। यहां तक कि उसके साथ मारपीट की जाती, भूखा–प्यासा एक कमरे में बंद रखा जाता। उसे मारने और परेशान करने के लिए तांत्रिकों की मदद भी ली जाती। रानी ने कभी भी अपने ऊपर हो रहे जुल्मों की आहट अपनी बूढी मां को नहीं होने दी। उसकी मां उम्र के करीब 70 साल पार कर चुकी थी और उसके खाने के लाले पड़े हुए थे। रानी पर जुल्मों का सिलसिला लगातार चलता रहा। एक दिन सत्यनारायण ने रानी को उसकी मां के घर छोड़ दिया। उस वक्त रानी के पेट में 5 माह का शिशु था। इस स्थिति में पति ने उससे सब तरह से नाता तोड़ लिया। इतना सब सहने के बाद रानी की सहनशीलता जबाव दे चुकी थी। आखिर उसने अपने ऊपर हुये जुल्मों की दास्तां मां को सुनाई। रानी पर हुए अत्याचारों से गांव के सभी लोग स्तब्ध हो गए थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी पढ़ी–लिखी, समझदार और सुशील होने के बाद भी रानी को इतना कुछ सहना पड़ा है। सबला समूह की महिलाओं को जब रानी के बारे में पता चला, तो उन्होंनें रानी राय से मुलाकात की। रानी को आश्वस्त किया कि तुम इस लड़ाई में अकेली नहीं हो। हम सब तुम्हारें साथ हैं और तुम्हारे ऊपर हुए एक–एक अत्याचार का बदला हम सब मिलकर लेंगें। सबला समूह ने संस्था के कार्यकर्त्ताओं को इस घटनाक्रम से अवगत कराया और 15 जून 2007 को महिला पुलिस थाना सागर में आवेदन दिया गया। थाने में अपने खिलाफ दर्ज आवेदन की सूचना मिलते ही रानी के ससुर ने संस्था कार्यकर्ताओं को धमकाया। रानी के ससुर ने कहा कि हम शराब के ठेकेदार हैं। हमारे पास बहूत खतरनाक गुंडे हैं। तुम इस केस में रानी की मदद नहीं करो, नहीं तो हम तुम्हें कभी भी मरवा देंगें। संस्था कार्यकर्ताओं पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सबला समूह के साथ इस अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष और तेज करने की

ठानी। महिला पुलिस थाने में थाना प्रभारी श्रीमती सुष्मिता नियोगी ने दोनों पक्षों की बात सुनी। इस मामले को थाने में स्थित परिवार परामर्श केंद्र में स्थानांतरित कर दिया। परिवार परामर्श केंद्र के परामर्शदाता स्वाती मारवाहा और जेपी पांडे ने दोनों पक्षों को गंभीरता से सुना। उन्होंने रानी के सास-ससुर से भी बात की। इस तरह समस्या के कारणों को पहचान कर दोनों पक्षों को एक होने की समझाइश दी गई। इस समझाइश से दोनों पक्षों में आम सहमति बनी और दोनों साथ रहने को राजी हो गये। इस तरह रानी की जिंदगी में खुशियां लौट आई। सामूहिक पहल से एक उजड़ चुका घर फिर बस गया। इसी तरह मिल-जुलकर प्रयास किये जायें, तो ऐसी कई गृहस्थियों को टूटने से बचाया जा सकता है, जो पारिवारिक झगड़ों के चलते थाने और कचहरी के चक्कर काटते-काटते बिखर जाती हैं।

प्रसव के दर्द से भी दर्दनाक

स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत

हमारा सरकारी सूचना तंत्र बड़े-बड़े दावों के साथ प्रचारित करता है कि गर्भवती महिलायें अपना प्रसव हमेशा अस्पताल में ही करायें, ताकि सुरक्षित प्रसव हो सके और महिला को मातृत्व योजना का लाभ मिल सके। लेकिन जब जमीनी स्तर पर देखते हैं, तो स्थिति उलट मिलती है। सरकारी अस्पतालों में जाकर महिलाओं की समस्या और बढ़ जाती है। यह खोखली बात नहीं है। इसे साबित करने के लिए एक घटना ही काफी है।

2 जुलाई 2007, सुबह पौने ग्यारह बजे तालचिरी निवासी रामकिशन पटेल अपनी पत्नी आरती के सुरक्षित प्रसव की आस में सागर स्थिति डफरिन अस्पताल में पहुंचा। आरती क्या जानती थी कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना उसके लिए इतना पीड़ादायी होगा कि जान पर ही बन आये। अस्पताल पहुंचकर रामकिशन ने नर्सो से आरती का प्रसव करने के लिए आग्रह किया। नर्सो ने रामकिशन से प्रारंभिक पूछताछ की। उससे पूछा कि पहले आरती का चैकअप कहां चल रहा था और कौन सा डॉक्टर उसे देख रहा था। नर्स को बताया गया कि चैकअप एक प्राइवेट अस्पताल में वहीं की महिला डॉक्टर की निगरानी में चल रहा था। इस पूछताछ के बाद नर्सो ने कहा कि आरती का बच्चा ऑपरेशन से ही होगा। अस्पताल में अभी महिला डॉक्टर मौजूद नहीं है, इसलिए थोड़ा इंतजार करें। तीन घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक महिला डॉक्टर नहीं आई थी। वहां मौजूद नर्सो ने आरती का केस गंभीरता से नहीं लिया। आरती को न तो भर्ती किया और न ही उसका प्रसव कराया गया। पीड़िता आरती के लिए यह तीन घंटे काफी दर्दनाक और मौत से साक्षात्कार करते हुए गुजरे। अपनी पत्नी को असहनीय दर्द से कराहते देख रामकिशन ने उसे किसी प्रायवेट अस्पताल में ले जाने का निश्चिय किया। डफरिन (सरकारी) अस्पताल की सीढ़ियां उतरते वक्त ही आरती को स्वतः प्रसव हो गया। आश्चर्यजनक तो यह था कि प्रसव होने के बाद भी वहां उपस्थित स्टाफ (नर्सो) ने आरती को भर्ती करना तो दूर, उसे देखने तक की जरूरत नहीं समझी। वहां उपस्थित एक महिला होमगार्ड के अनुसार जो महिलायें प्रसव पूर्व के परीक्षण निजी अस्पतालों में करवाती हैं, उनके साथ यहां की नर्सें इसी प्रकार का व्यवहार करती हैं। सरकारी अस्पताल की नर्सो के इस गैरजिम्मेदाराना व्यवहार के चलते गर्भवती महिलाओं की जान खतरे में पड़ जाती है।

ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं, जो इस बात से परदा उठाती हैं कि असल में सरकारी व्यवस्था कैसी हैं। आम जनता के स्वास्थ्य के लिए हमारी सरकार या उसकी मशीनरी कितनी सजग व तत्पर हैं। सरकार व्यापक स्तर पर गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करती है और वाह-वाही लूटती है। जब वास्तव में एक गरीब इन योजनाओं का लाभ लेने पहुंचता है, तब यही योजनायें गरीबों को ठेंगा दिखाती नजर आती हैं।□

अब ग्राम सभा में विकास के मुद्दे

गजबासौदा तहसील का देरखी गांव है, पक्की सड़क न होने से बरसात में कीचड़ के कारण लोंगों का रास्ते पर चलना दूभर हो जाता था। ग्रामीण कई साल से इस समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन इससे निपटने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा था। गांव में वामा द्वारा सबला परियोजना चलाये जाने के बाद यहां की महिलाओं ने इस जिम्मेदारी को अपने कांधों पर ले लिया। सबला समूह तथा गांव में गठित अन्य समूहों की महिलाओं ने आपस में चर्चा कर तय किया कि वे गांव में कांक्रिट रोड बनवाने के लिए ग्रामसभा मे मुद्दा उठायेंगी। 15 अगस्त 2006 को गांव में जब ग्रामसभा हुई तो, उसमें सबला समूह की महिलाओं ने गांव की 60-70 महिलाओं के साथ कांक्रिट रोड के निमार्ण का मुद्दा उठाया। ग्रामसभा में इसका प्रस्ताव भी पास हो गया। सबला समूह के प्रयास से आज गांव में कांक्रिट रोड है और लोगों को बरसात में भी कोई परेशानी नहीं होती है।□

मिसाल-बेमिसाल

विकास के प्रति प्रतिबद्ध

सशक्त महिला प्रेमाबाई

प्रेमाबाई महिला सशक्तिकरण का सटीक उदाहरण हैं। उन्होंने अपने गांव और गांव के लोगों के विकास के लिए काम किये। पंचायती राज व्यवस्था में पंच के रूप में लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दिया। यही नहीं गांव की महिलाओं को जागरुक और सशक्त बनाने में भी प्रेमाबाई द्वारा किये गये प्रयास सराहनीय हैं।

अडुपुरा गांव, जो ग्वालियर से 20 किमी की दूरी पर है, में महिला सशक्तिकरण की मिसाल प्रेमाबाई रहती हैं। यह हरिजन बाहुल्य गांव है, जहां कुछ परिवार पिछड़ा वर्ग के भी हैं। 48 वर्षीया प्रेमा बाई एक सामान्य गृहणी के साथ-साथ जागरुक महिला भी हैं। वह आठ वर्षो से वामा संस्था से जुड़ी हुई हैं। वामा संस्था द्वारा प्रजनन एंव शिशु स्वास्थ्य व बालिका संरक्षण के लिए एक परियोजना चलाई जा रही है। प्रेमा बाई ने बतौर ग्रामीण कार्यकर्ता इसके लिए सराहनीय कार्य किये हैं। वह वामा संस्था के एक कार्यक्रम के तहत निर्मित महिला स्वसहायता समूह की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। प्रेमा बाई ने पंचायत चुनाव में पंच का चुनाव लड़ा और जीत कर ग्राम पंचायत में अपनी दस्तक दी। तभी से वह गांव के विकास कार्य में संलग्न हैं। पंच बनने के बाद प्रेमा बाई ने गांव की सभी महिलाओं की ग्राम सभा में सहभागिता सुनिश्चित की। ग्राम सभा मे गांव के स्कूल के लिए हैंडपंप प्रस्तावित करवाया और इसकी जमीनी कार्यवाही के लिए पूरे मन से प्रयास किये। नतीजतन स्कूल के पास हैंडपंप लगाया गया। प्रेमा बाई ने गांव की समस्याओं को जनपद तथा जिला पंचायत में उठाया। ग्रामीणों के लिए निःशुल्क दवाईयां व टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की। गांव के स्कूल में अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षकों की नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित किया तथा स्कूल की सतत् निगरानी कर शिक्षा के स्तर को सुधारा। अपने स्वप्रयासों से प्रेमा बाई ने गांव में 7 महिला स्वसहायता समूह बनाकर 80 महिलाओं को सशक्त किया। प्रेमा बाई के कार्यो को पूरे गांव ने सराहा और अगले चुनाव में पंच के लिए फिर उन्हें नामांकित किया।□

सरकार के भरोसे कब तक?

ग्रामीणों ने खुद बनाए शौचालय

एक महिला के हौसले ने उस बैठक को सार्थक सिद्ध कर दिया। प्रेरित होकर अन्य महिलायें भी आगे आईं। महिलाओं को देखकर पुरुषों ने भी अपनी संकीर्ण मानसिक को त्याग दिया और जुट गये अपने गांव की तस्वीर बदलने के लिए। देखते-देखते पूरा गांव साथ हो लिया।

ग्वालियर जिले का गांव सिकरोदी की अस्सी फीसदी जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। इनकी लोगों की आर्थिक स्थिति बहूत खराब थी। लोग शौच के लिए खुले में जाया करते थे। वामा संस्था ने इस गांव को पूर्ण शौचालययुक्त बनाने का एक सपना संजोया। अपने सपने को पूरा करने के लिए तय हुआ कि गांव के लोगों की एक बैठक कर में इस बारे में चर्चा की जाये। बैठक के लिए शाम आठ बजे पूरे गांव को बुलाया गया। हालांकि इस वक्त तक गांव के सारे पुरुष नशा में धुत हो जाते हैं और इस हालत में उनको समझाना आसान नहीं था, लेकिन वामा कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी और बैठक की। बैठक में महिलाओं को महिला कार्यकर्ताओं ने और पुरुषों को पुरुष कार्यकर्ताओं ने शौचालय के महत्व और उनके निर्माण की अपनी योजना के बारे में समझाया। कार्यकर्ताओं ने पाया कि लोगों की सोच सरकारी सहायता तक सीमित थी। सभी की अपेक्षायें अधिक थी, लेकिन खुद से कुछ नहीं करना था। सब कुछ मुफ्त मिल जाये बस। लोगों के लिए वामा द्वारा की जा रही मदद काफी नहीं थी। सारे लोग एक बात पर ही अड़े थे कि अगर पूरा समान दिया जाता है, तो ही हम शौचालय बनायेंगे। लेकिन एक महिला के हौसले ने इस बैठक को सार्थक सिद्ध कर दिया। विद्यादेवी जाटव ने कहा कि वह अपने घर में शौचालय बनवायेगी। वामा जितनी मदद करता है, उसी में वह शौचालय बनवाने को तैयार थी। स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष तथा जल एवं स्वच्छता समिति की कोषाध्यक्ष विद्यादेवी से प्रेरित होकर एक के बाद एक पांच महिलायें तैयार हो गईं। पुरुष अभी भी निष्क्रिय थे। अपने निश्चिय के अनुसार महिलायें शौचालय बनाने में जुट गईं। जब पुरुषों यह सब देखा, तो तीसरे ही दिन वह भी इस सद्कार्य में लग गये और देखते ही देखते पूरा गांव शौचालय बनाने के लिए गड्डा खोदने को तैयार हो गया। आज इस गांव के करीब हर घर में शौचालय है।□

परिवर्तन के संकेत

कुछ तुम गलत, कुछ हम बेपरवाह

परमाल सिंह ने माना कि इसमें उसकी गलती थी, वहीं भूरीबाई ने भी स्वीकारा कि परिवार को सही तरीके से चलाने में उससे चूकें हुई हैं। भूरीबाई की सास कपूरी बाई को समझाइश की गई कि वह बेटा-बहू के साथ प्रेम से रहे। कपूरी बाई ने भी घर के छोटे-मोटे काम और बच्चो की देखभाल करने की हामी भरी। इस तरह एक बिखरा हुआ परिवार फिर संयुक्त परिवार बन गया।

समाज में संयुक्त परिवार को तोड़कर एकल परिवार की अवधारणा जिस तेजी से बढ़ी है, उसमें पारिवारिक विवाद की केंद्रीय भूमिका होती है। विवाद का कारण नैतिक मूल्य, निरंकुशता, आर्थिक या वैचारिक मतभेद आदि हो सकता है। अब स्थिति यह है कि एकल परिवार में भी विवाद जन्म ले रहे हैं।

पति-पत्नी और उनके बच्चों से बनी संस्था एकल परिवार भी आपसी विवादों के चलते बिखर रही है। तलाक की संख्या में प्रति वर्ष इजाफा हो रहा है। वैचारिक मतभेद, आर्थिक स्वतंत्रता, बच्चों की जिम्मेदारी आदि मनोवैज्ञानिक

व सामाजिक कारण हैं, जो एकल परिवारों के विखराव के कारणों में अहम हैं। इन विवादों को उचित परामर्श से सुलझाना संभव है। इसी लिहाज से सबला परियोजन के तहत लक्षित गावों में प्रशिक्षक परामर्शदाता तैयार करने की मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम का उद्देश्य था कि हर



फैसले के दौरान भूरी बाई तथा पति

गांव में कुशल परामर्शदाता उपलब्ध हो पायें। यह कहानी ऐसे ही एक गांव की है, जहां ग्रामीण परामर्शदाताओं ने अपने स्तर पर पहल कर भूरी बाई और उसके पति परमाल सिंह के बीच का विवाद न सिर्फ सुलझाया, वरन् उन्हें आर्थिक मदद भी प्रदान की।

ग्राम देरखी की रहने वाली भूरी बाई 29 वर्ष की अल्पआयु में ही चार बच्चो की मां बन चुकी थी। उसका पति परमाल सिंह न तो कोई नशा करता है और न ही दूसरी कोई बुरी आदत थी। इसके बावजूद उनकी गृहस्थी में शांति नहीं थी। हर रोज आपसी कलह और मारपीट होती रहती थी। रोज-रोज की कलह से परेशान होकर एक दिन (16 नबम्वर 2006) भूरीबाई अपने बच्चों के साथ तालाब में डूबने के लिए निकल पड़ी। वहां से गुजर रहे सबला परियोजना के कार्यकर्ता मुन्ने खां ने उसे डूबने से बचाया और अपने साथ में गांव ले आये। उन्होंने गांव के ही रामकरण सिंह, किसन सिंह, हरिबाई आदि से इस विषय में बातचीत की। इस पर सभी लोगों ने तय किया कि पहले दोनों पक्षो की बातें सुनी जायेगी, इसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जायेगा। सबला परियोजना समन्वयक विष्णु जायसवाल तथा पैरवी समन्वयक हरीशरण अवस्थी की उपस्थिति में ग्राम परामर्श केंद्र देरखी में दोनों पक्षों को बुलाया गया। बैठक में दोनों ओर की बातों और समस्याओं को सुनने के बाद एक आम सहमति बनाई गई। इसके मुताबिक परमाल सिंह ने माना कि इसमें उसकी गलती थी, वहीं भूरीबाई ने भी स्वीकारा कि परिवार को सही तरीके से चलाने में उससे चूकें हुई हैं। भूरीबाई की सास कपूरी बाई को समझाइश दी गई कि वह बेटा-बहू के साथ प्रेम से रहे। कपूरी बाई ने भी घर के छोटे-मोटे काम और बच्चों की देखभाल करने की हामी भरी। इस तरह एक बिखरा हुआ परिवार फिर संयुक्त परिवार बना गया।



फैसले के पश्चात पति-पत्नी एक साथ

यह घटना संकेत देती है कि ग्रामीण जीवन में परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन सड़ीगली मानसिकता और रूढ़ियो के प्रति हो रहा है। परिवर्तन जीवन को नरक बना देने वाली व्यवस्था के प्रति हो रहा है। परिवर्तन अपने अधिकारों के लिए हो रहा है।

परामर्शदाता व दात्री को तैयार करना गांव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन के पदचाप हैं। यह प्रयास गांवों में परिवारों को बिखरने से तो बचायेगा ही, वहीं यह महिलाओं को घुटन, संत्रास, कुंठा व प्रताड़ना से भी मुक्ति दिलायेगा।□

दूरअंदेशी...

जहाँ दूरअंदेशी एक साल के लिए हो, तो एक फूल लगाईये
जहाँ दूर अंदेशी दस के लिए हो, तो पेड़ लगाईये
जहाँ दूरअंदेशी अनंत काल के लिए हो, तो लोगों का विकास कीजिए

नरक भोगने के बाद...

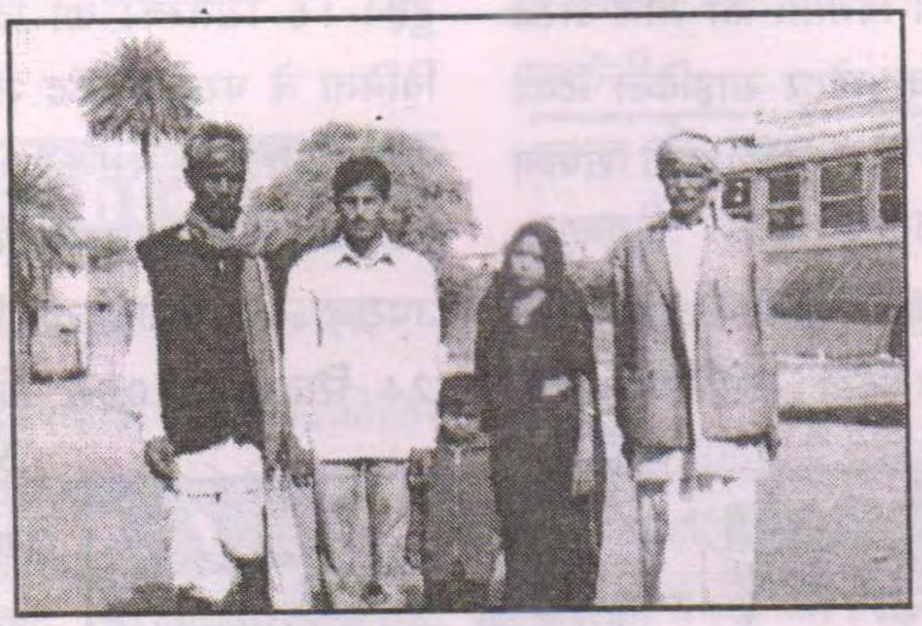
देरखी की मीरा

मीरा का स्वास्थ्य गिरने लगा। समय पर इलाज न होने से उसकी हालत और बिगड़ गई। वह इतनी कमजोर हो गई थी कि उसमें किसी भी कार्य को कर सकने का सामर्थ्य नहीं रहा। ऐसी लाचारी की हालत में मीरा हरिराम के लिए बोझ बनकर गई। हरिराम ने मीरा को उसके मायके भेज देने का निर्णय कर लिया।

आज मीरा अपने पति के साथ सुख से रह रही है। इस एक प्रयास से देरखी गांव की महिलायें भी जागरुक हो गई हैं। आलाम यह है कि गांव की कोई भी महिला जब इस प्रकार की समस्या में आ जाती हैं, तो सारी महिलायें परिवार परामर्श केंद्र, यहां तक कि थाने तक जाने में जरा भी नहीं हिचकिचातीं।

यह घटना सुदूर अंचल में बसे देरखी गांव की है। देरखी, जो मध्यप्रदेश के विदिशा जिले की गंजबासौदा तहसील से 12 कि.मी. दूर है। देरखी में रहने वाले गुलाब सिंह अहिरवार की बेटी मीरा बाई के साथ घटी यह घटना भी समाज में प्रचलित परंपराओं-मान्यताओं व पुरुष को भगवान समझने वाली मानसिकता से उत्पन्न विकृतियों का परिणाम है। मीरा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उसके पिता गुलाब सिंह एक छोटा किसान था। खेती सात सदस्यों के परिवार का भरण-पोषण के लिए काफी नहीं थी, मजबूरन वह मजदूरी भी करते थे। मीरा की उम्र बढ़ने के साथ-साथ गुलाब सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी बढ़ती जा रही थी। मीरा की उम्र 16 साल होते ही उसके लिए घर की तलाश शुरू हो गई। ग्यारसपुर के मोहनपुर निवासी काशीराम अहिरवार के लड़के से मीरा का विवाह पक्का हुआ। काशीराम का लड़का हरीराम मिस्त्री का काम करता था। उसकी मासिक आमदानी 3000-4000 रुपए हो जाती थी। 19 अप्रैल 1996 को मीरा का विवाह हरीराम के साथ संपन्न हो गया। मीरा अपने पति के घर हंसी खुशी दिन बिता रही थी। घर में एक नये मेहमान की दस्तक हुई। मीरा ने बेटी को जन्म दिया। बस यहीं से उसकी किस्मत के दरवाजे बंद होने लगे। ससुराल वालों ने नवप्रसूता की घोर उपेक्षा की। इससे मीरा का स्वास्थ्य गिरने लगा। समय पर इलाज न होने से उसकी हालत और बिगड़ गई। वह इतनी कमजोर हो गई थी कि उसमें किसी भी कार्य को कर सकने का सामर्थ्य नहीं रहा। ऐसी लाचारी की हालत में मीरा हरिराम के लिए बोझ बनकर गई। हरिराम ने मीरा को उसके मायके भेज देने का निर्णय कर लिया। जनवरी 2004 में वह मीरा को उसके मायके छोड़ आया।

पति ने मीरा को बीमारी की हालत में छोड़ दिया था, लेकिन मीरा के पिता ने कर्ज लेकर उसका इलाज करवाया। मीरा की हालत में धीरे-धीरे सुधार आने लगा और तीन-चार में वह पूरी तरह ठीक हो गई। ससुराल वालो को बार-बार खबर भेजने के बावजूद मीरा को लेने कोई नहीं आया। गुजरते वक्त के साथ मीरा की आशा भी धूमिल हो चली थी। एक दिन मीरा को खबर लगी कि उसका पति 5000 रुपये में दूसरी लड़की को घर में रख रहा है। इसी बीच मीरा को स्वसहायता समूह की महिलाओं से बाल महिला विकास समिति के बारे में पता चला। समूह की महिलाओं ने उसे बताया कि बाल महिला विकास समिति एक ऐसी संस्था है, जो महिलाओं पर हो रही हिंसा के लिए कार्य करती है। साथ ही मीरा को अगली बैठक में अपना पक्ष रखने को भी कहा। बैठक में मीरा अपने पिता के साथ पहुंची और सबके सामने अपनी समस्यायें रखी। मीरा को विश्वास दिलाया गया कि उसे उसका अधिकार जरूर मिलेगा। यह लड़ाई हम सब को मिलकर लड़ना होगी। 6 नबंवर 2006 को मीरा बाई समूह की महिलाओं के साथ विदिशा की लिए रवाना हो गई। वहां सभी लोग जिला परिवार परामर्श केंद्र पहुंचे। यहां मीरा की शिकायत दर्ज कर ली गई और सुनवाई की अगली तारीख 25 तय की गई। तय तारीख को परामर्श केंद्र की बैठक में एसडीओपी सुरेन्द्र गौर की उपस्थिति में मीरा और मीरा के पति हरिराम अहिरवार के मध्य समझौता कराया गया। इस समझौते में हरिराम ने मीरा को अपने साथ रखना स्वीकार किया। साथ ही उसे दोनों पत्नियों के साथ रहने के लिए स्वीकृति दे दी गयी। इस छोटे से प्रयास ने चार वर्षो से वीरान मीरा की जिंदगी में बहार ला दी। □



फैसले के पश्चात मीराबाई अपने पति, ससूर तथा पिता के साथ

दहेज प्रताड़ना का दर्द सुखन में बदला

पति ने की मोटरसाइकिल से तौबा

दहेज की आग मासूम लड़कियों की जिंदगी को तबाह कर रही है। तमाम कोशिशों के बाद भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। समाज में इसके खात्मे के लिए अभी जागरुकता आना बाकी है। जब तक समाज पूरी तरह दहेज की चिता को बुझा नहीं देता, तब तक लड़कियों का इसमें जलकर मरना बदस्तूर जारी रहेगा और हम अफसोस जताने के अलावा कुछ नहीं कर पायेंगे।

दहेज के कड़वे सच को विनीता ने भी जिया है। देरखी गांव, तहसील गंजबासौदा के बाबूलाल अहिरवार ने बेटी विनीता की सुखी गृहस्थी की आस में अपना सब कुछ गिरवी रख दिया। उन्होंने बेटी की शादी ग्यारसपुर तहसील के मम्मनगढ़ में रहने वाले दिनेश से की थी। विवाह में क्या कसर छोड़ी थी बाबूलाल ने। वर पक्ष को 38-40 हजार रुपये नगद, गृहस्थी का साजो-सामान, सब कुछ तो दिया था। यहां तक कि दुल्हन को सोने के जेवरों से लाद दिया था। लेकिन विनीता की मांग भरने आये दिनेश की मांग फेरे पड़ने तक एक मोटर साइकिल टिकी रही। गांव के बुजुर्गो की समझाइश से जैसे-तैसे शादी संपन्न हुई।

शादी के 20-25 दिन बाद ही ससुराल वालों ने विनीता के साथ मारपीट की और उसे वापस मायके भेज दिया। उसे हिदायत दी गई कि जब तक मोटर साइकिल की मांग पूरी नहीं होती, तब तक वह ससुराल न आये। सास-ससुर और पति के लालच व दहेज तृष्णा के चलते वह अपने मायके में रहने को मजबूर थी। उसके मां-बाप खुद की हालात भी कुछ ठीक नहीं थी। गांव के कई लोगों पर देनदारी बनती थी। जिंदगी भर की कमाई और घर का सामान गिरवी रख बाबूलाल ने लड़की के हाथ पीले किए थे। विनिता ने शादी के बाद जितने भी दिन ससुराल में काटे, वे रोंगटे खड़े करने वाले थे। विनिता को उसके सास-ससुर और पति ने कई बार बेदर्दी और बेरहमी से मारा था। कई बार लात-घूसें और लोहे की छड़ से मार-मार कर लहू-लुहान कर दिया था। एक बार तो उसके चेहरे और सिर पर इतने तेज प्रहार किये गए कि देर तक मुंह-नाक से खून बहता रहा। कई घंटों तक वह अचेत पड़ी रही। जेठ ने किसी प्रकार से उसे मायके पहुंचाकर अपना कर्तव्य पूर्ण समझ लिया। इलाज के बाद विनिता का शारीरिक कष्ट तो दूर हो गया, लेकिन इस हादसे को याद करके वह सहम जाती थी। डर इस हद तक हाबी था कि उसने थाने में घटना की रिपोर्ट भी नहीं की।



फैसले के बाद विनिता (बीच में) अपने पति तथा माँ के साथ

वामा के पैरवी समन्वयक शैलेन्द्र शुक्ला ने उसे न्याय का भरोसा दिलाया, जब कहीं उसने आप बीती सुनाई। परिवार परामर्श केंद्र थाना गंजबासौदा के माध्यम से दिनेश को नोटिस भेजकर बुलाया गया। दिनेश ने बारिश और बाढ़ की वजह से आने में असमर्थता जताई, तो अगली पेशी की तारीख 16 सितम्बर 2006 तय हुई। 16 सितम्बर को दिनेश के केंद्र पर उपस्थित न होने पर विनिता ने परामर्श केंद्र में एक ओर आवेदन दिया। आवेदन पर संज्ञान लेते हुए परामर्श केंद्र ने दिनेश को 24 सितंबर को केंद्र पर उपस्थित होने का नोटिस जारी किया। नोटिस की तामील के उपरान्त तय तारीख को दिनेश ने परामर्श केंद्र पर हाजिरी दी। 24 सितम्बर 2006 को थाना गंजबासौदा में एस.डी.ओ.पी. सुरेन्द्र सिंह गौर की अध्यक्षता में परिवार परामर्श केंद्र की बैठक हुई। इसमें अनावेदक दिनेश वल्द हरीराम ने अपनी पत्नि विनिता वल्द बाबूलाल को आश्वस्त किया कि भविष्य में वह उसके परिवार वालों से न तो मोटरसाइकिल की मांग करेगा और न ही उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट करेगा। इस पर सहमति जताते हुए विनिता भी अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। दिनेश ने लिखित में दिया कि वह अपनी पत्नी विनिता को उसके मायके से ससम्मान विदा कर ले जायेगा।

बैठक में वरिष्ठ शिक्षाविद बाबूलाल माहेश्वरी, श्रीमती शशिप्रभा बजाज, मंजु कुशावाह एडवोकेट, डॉ. ओ.पी. भदोरिया, विक्की चौरसिया, कैलाश भार्गव एवं वामा के अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला के समक्ष समझौता पत्र ऑर्डर शीट पर दिनेश से हस्ताक्षर लिये गये। इस तरह से एक बेहतर प्रयास ने दहेज के लिए पति व ससुराल से प्रताड़ित विनिता को न्याय दिलाया और आज वह अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है।□

मेरे बच्चें ने मुझे सिखाया

अंगूठा! नहीं अब हस्ताक्षर

जमुना देवी, उम्र 45 साल। काम, सुबह से शाम तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करना और वक्त पड़ने पर हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठा टेक देना। यह तो जमुना देवी का पुराना रूप है। अब वह अंगूठा नहीं लगाती, गर्व के साथ हस्ताक्षर करती है। जमुना देवी में आए इस बदलाव का कारण एक बच्चा है। हुआ यूं कि अंगूठा लगाने के कारण एक दिन आठ वर्षीय बच्चे ने उसे चिढ़ा दिया। उसे उस रोज शिक्षा का महत्व समझा आया और खुद पर शर्म भी आई, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह इस धब्बे को मिटा देगी। इसके लिए उसने अपने बेटे गुलाब का सहारा लिया। शाम को खाना बनाने के बाद वह गुलाब से हस्ताक्षर करना सीखती थी। अब वह हस्ताक्षर करती हैं और कहती हैं– 'मेरे बच्चे ने मुझे सिखाया।□'

बच्चें अब मजदूरी नहीं करेंगे पढ़ाई

आदिवासी गांव में शिक्षा का शंखनाद

गांवों में शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से वामा ग्वालियर द्वारा मुख्य मार्ग विहीन तथा जगंलों से घिरे लोढ़रा गांव का आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के बाद यहां एक वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोला गया, ताकि सहरिया आदिवासी में पीढ़ियों से चली आई रही निरक्षरता की परंपरा को तोड़कर उनके बच्चों के शिक्षा का अलख जगाया जा सके। इसके लिए सतत् प्रयास किये गये। सर्वप्रथम गांव में बैठकें आयोजित कर शिक्षा के महत्व को बताया गया। लोगों में बच्चों को शिक्षा केंद्र तक भेजने की भावना जागृत की गई। इसके बाद शिक्षकों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सफाई का महत्व समझाया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अब बच्चे साफ-सुथरे रहते हैं। शिक्षा केंद्र में बच्चों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के साथ-साथ बच्चों में सीखने की जिज्ञासा भी बढ़ी है। अब आदिवासी बच्चे स्वर-व्यंजन लिखने के साथ-साथ पहाड़े, गिनती सीखकर उंगलियों पर छोटी-छोटी संख्याओं को जोड़ना-घटाना सीख गये हैं। अब आदिवासी बच्चें समय की नियमितता के साथ-साथ पढ़नें में अधिक ध्यान लगाते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा की उपयोगिता को

अब शिक्षा दूर कहां

शिक्षा से दूर क्यों रहे लड़कियां

स्कूल के लिए संगठित प्रयास

गणेशपुर गांव विदिशा के पास समीप स्थित है, जहां केवल एक प्राथमिक स्कूल था। यहां के लड़के-लड़कियों को आगे पढ़ाई के लिए विदिशा जाना पड़ता था। पढ़ाई के लिए इतनी दूर जाने की झंझावत के चलते लड़कियां पांचवी के बाद पढ़ना छोड़ देती थी। सबला समूह की महिलाओ ने मिलकर इस समस्या पर विचार किया और अन्य महिलाओं के साथ मिलकर सरपंच को गांव में मिडिल स्कूल खुलवाने के लिए आवेदन दिया। महिलाओं का यह प्रयास अपनी मंजिल के नजदीक, क्योंकि गांव में मिडिल स्कूल खोले जाने की प्रक्रिया चल रही है। गांव में बहूत जल्द ही मिडिल स्कूल शुरु हो जायेगा और लड़कियां आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगी।

ध्यान में रखकर अभिभावक बच्चों की जरूरत की चीजें मजदूरी करके जुटाता है और उनकी शिक्षा में अपना सहयोग देता है। कुछ अभिभावक जो नियमित मजदूरी नहीं करते थे, आज वह बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मजदरी करने लगे हैं। जो माता-पिता अपने बच्चों को मजदूरी पर ले जाते थे, वह अब खुद मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, ताकि उनका बच्चा कभी उनकी तरह मजदूर बनकर न रह जाये।□

गांव में ही हुआ शिक्षा का प्रबंध

अब मीलों चलने की जरूरत नहीं

लालपठार गांव में एक शासकीय कन्या प्राथमिक शाला थी, जिसमे केवल लड़कियों को ही प्रवेश दिया जाता था। यहां के प्रायमरी स्तर के छोटे-छोटे लड़कों को पढ़ने के लिए गांव से 3-4 कि. मी. दूर गंजबासौदा जाना पड़ता था। इससे उन्हें काफी दिक्कतें आती थीं। सबला समूह की महिलाओं सहित गांव की अन्य महिलाओं ने इस मुद्दे पर चर्चा की। इन महिलाओं ने एक ज्ञापन बनाकर स्कूल के प्राधानाचार्य को दिया और गुजारिश की कि पांचवी तक के लड़कों को भी इस स्कूल में प्रवेश दिया जाये। सबला समूह के प्रयास से अब इस स्कूल में लड़के और लड़कियां साथ-साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं।□

अभी तो जंग बाकी

जख्मों से पटा रामकली का तन और मन

शराबी पति की मारपीट का आलम यह था कि शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा, जहां जख्म न हो। वह तो नरक बन चुके ससुराल में कदम तक नहीं रखना चाहती थी, लेकिन परिवार की समझाइश और समाज की मर्यादा के चलते उसे बार-बार इस पीड़ा को भोगना पड़ा। हालांकि वामा के प्रयास से शरीर जख्मों को मरहम मिला और पुलिस की सहायता भी मिली, मगर घायल आत्मा को शुकून कहां। देरख गांव की रामकली बाई के लिए अभी तो जंग बाकी।

रामकली बाई का विवाह चार साल पहले मनोज अहिरवार के साथ गंजबासोदा में आयोजित एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुआ था। शादी के एक साल बाद ही रामकली की जिंदगी में तूफान आ गया। पति शराब पीकर उससे मारपीट करने लगा था। वह पत्थर तोड़ने का काम करता, लेकिन उसकी जिद थी कि पत्नी काम करने जाये, ताकि खुद घर बैठे शराबखोरी कर ऐश की जिंदगी जी सके। रामकली बार-बार की मारपीट से तंग आकर मायके उदयपुर तहसील के बरेठ में रहने लगी। परिवार में समझाइश के बाद



पीड़िता का आर्थिक सहायता प्रदान

वह वापस पति के घर लगी गई, जहां फिर उसे मारपीट का सामना करना पड़ा। इस बार तो रामकली को बड़ी बेदर्दी से पीटा गया। शरीर पर अनगिनत चोटें उसके साथ हुए जुल्म की कहानी बयान कर रही थीं। रामकली को मायके आकर अपना इलाज करवाना पड़ा। अब वह दोबारा उस घर में कदम रखना नहीं चाहती थी, जहां उसे इतनी यातनायें दी गई। मगर समाज और परिवार की खातिर किसी तरह हिम्मत करके वह फिर पति के साथ रहने को राजी हो गई। पति की शराब पीने की लत और उसके बाद मारपीट करने की आदत की वजह से वह ज्यादा दिन ससुराल में रह न सकी। इसी बीच सास की मृत्यु हो गई और रामकली को ससुराल लौटना पड़ा। अभी डेढ़ महीने ही बीते थे कि पति ने मारपीट करके उसे घर से भगा दिया। रामकली की कोई संतान नहीं थी।

शराब की लत में मनोज ने अपनी सारी जमीन जायदाद, जो बंटवारे मे उसके हिस्से आई थी, बेच दी थी। अब वह साहिबा में अपने भाईयों के पास रहने लगा। मनोज के चार भाई हैं। सभी शादीशुदा हैं तथा खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। रामकली को सास-ससुर, जेठ-जेठानी से कभी कोई शिकायत नहीं रही। लेकिन उसके पति नहीं उसे कभी सुख नहीं दिया। बस शराब और मारपीट ही पति फितरत बन गई। पति के अत्याचार इस अबला के पक्ष में वामा कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। इस आधार पर उसके पति को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया और समझौते व समझाइश के साथ उसे सशर्त जमानत पर रिहा किया गया। रिहा होने के बाद भी वह नहीं सुधरा और कुछ दिनों बाद फिर अपनी पत्नी पर अत्याचार करने लगा। रामकली के सारे शरीर, यहां तक कि अंदरूनी अंगों पर भी जख्म के निशान, हड्डियों में सूजन और आंखों से बहती दहशत महिला के साथ हुई हिंसा और अत्याचार के दर्दनाक मंजर थे। मनोज सही हदे पार कर चुका था। उसने रामकली को बीच रोड पर पटक-पटक कर मारा। एक बार तो उसे कुएं में ही फैंक दिया, तब उसके जेठ ने उसे बचाया था। जब वामा कार्यकर्ताओं इस बारे में पता चला, वे तुरन्त रामकली की सहायता के लिए देरखी पहुंचे। उसे काफी चोंटें आई थी। पीड़िता को देरखी से गंजबासैदा ले जाया गया, जहां थाने में रिपार्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने रामकली का मेडिकल कराया। वामा कार्यकर्ता ने उसका इलाज करवाया। उसे लाने-लेजाने और इलाज का खर्च भी वामा ने वहन किया। साथ ही उसकी आर्थिक सहायता भी की।□



चौट के निशान दिखाती रामकली

कैसी दुविधा में फंसी राजबाला

जख्म भी सहना है और खामोशी भी रहना है

हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में पानी। आज से कई वर्ष पूर्व कवि मैथिलीशरण गुप्त ने महिलाओं की दयनीय स्थिति पर यह पंक्तियां लिखी थीं, जो आज भी चरितार्थ होती हैं। हमारा पुरुष प्रधान समाज महिला को अबला समझ उस पर बेवजह अत्याचार कर अपनी मर्दानगी साबित करता रहता है। बेचारी स्त्री इस सबको अपना भाग्य समझती है और पति से संबंध विच्छेद हो जाने के डर से सबकुछ चुपचाप सहती रहती है।

जावाजीपुर की राजबाला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसका विवाह दयड़ा (सलामतपुर) निवासी प्रेम सिंह से तीन साल पहले हुआ था। शादी के 3-4 महीने बाद ही राजबाला के साथ मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया था, तो आज तक बंद नहीं हुआ। पति द्वारा छोटी-छोटी बातों को मुद्दा बनाकर राजबाला को मारना एक आम बात हो गई। सास की छोटी-छोटी चुगलियों पर पति मारपीट करता रहता है। मारपीट के साथ ताने भी मिलते कि तेरा बाप तो फकीर है, उसने मुझे शादी में कुछ नहीं दिया। प्रेम सिंह इतनी क्रूरता पर उतर आता कि जो चीज हाथ में आ जाये, उसी से पिटाई करना शुरू कर देता। एक तरफ पति मारपींट करता और दूसरी तरफ सास उस पर छोटी-छोटी चीजों की चोरी का आरोप लगाकर परेशान किया करती। ससुराल में राजबाला को इतना उपेक्षित किया जाता कि बीमारी की हालत में उसका इलाज पर ध्यान नहीं दिया जाता। तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने पर उसे मायके छोड़कर चले जाते। एक साल पहले भी राजबाला को ससुराल वाले मायके छोड़कर चले गये थे। चार-छह महीने बाद यह कहकर ले गये कि अब उसके साथ मारपीट नहीं करेंगे। लेकिन आलम ज्यादा देर तक ठीक नहीं रहा और तीन-चार महीने बाद फिर वही धंधा शुरू हो गया। आखरी बार जब पति राजबाला को मायके छोड़कर गया, तब धमकी देकर गया कि अगली बार वापस आई, तो तलाक के पेपर साथ लेकर आना। फिलहाल पिछले दो महीने से वह अपनी एक साल की बच्ची के साथ मायके में रह रही है। राजबाला काफी सीधे-साधे स्वभाव की महिला है। तभी तो पति से संबंध विच्छेद हो जाने के डर से वह अपने ऊपर होने वाली हिंसा की शिकायत तक नहीं करना चाहती। उसे डर है कि ऐसा करने पर पति उसे हमेशा के लिए घर से न निकाल दे। इधर वामा कार्यकर्ता द्वारा राजाबाला को उचित न्याय दिलाने का प्रयास जारी है।

राजबाला की स्थिति बताती है कि समाज में महिलाओं स्थिति क्या है। वह जानती है कि उस पर हिंसा हो रही है और वह उससे छुटकारा पाना चाहती है। वह यह भी जानती है कि कानूनी रूप से वह इस हिंसा से निजात पा सकती है, लेकिन वह बेबस हो जाती है यह सोचकर कि अगर उसने कानून का सहारा लिया तो निश्चित ही उसका परिवार बिखर जायेगा। कानून के जोर से उसके साथ होने वाली शारीरिक हिंसा तो रुक जायेगी, लेकिन उसके बाद उसके साथ जो भावनात्मक हिंसा होगी, वह और भी भयानक होगी। उसे अपने ही घर में उपेक्षित रखा जायेगा। परिवार में हाशिये पर रख दिया जायेगा। उसका पति उसका होते हुए भी उसका नहीं होगा। उसे लगने लगता है कि कानून से मिलने वाले इस न्याय का उसके लिए कोई औचित्य नहीं रह जायेगा?

यही कारण है कि महिला संरक्षण के लिए बने कानूनों का लाभ पीड़ित महिलायें नहीं ले पाती हैं और कानून मूक दर्शक बनकर हि रह जाते हैं, कभी कारगर सिद्ध नहीं हो पाते। महिला हिंसा पर कार्य करते समय वामा के सामने कई ऐसे मामले आये हैं, जो यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या पारिवारिक संबंधो को दाव पर लगाकर किसी महिलाओं को न्याय दिलाना उचित है?□

व्यवस्थाएं हमें ही सुधारनी होंगी

योजनाओं के बेहतर क्रियांवयन में आपकी क्या भूमिका है

योजनायें सुव्यवस्थितढंग से संचालित हों, इसकी जितनी जिम्मेदारी सरकार की होती है, उतनी ही स्थानीय लोगों की भी। अगर हम जागरुक होंगे, तो व्यवस्थायें बनी रहेगी। साथ ही इनमें होने वाली गड़बड़ियों पर नजर रखकर, धांधली और भ्रष्टाचार को भी रोका जा सकेगा। कैसे ?आइये देखते हैं-

गंजबासौदा तहसील के एक गांव बामोरी हसनपुर की आंगनबाड़ी में दलिया सड़ चुका था। इसके बावजूद आगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा वही दलिया बच्चों को बांटा जा रहा था। सबला समूह की महिलाओं ने अन्य महिलाओं के साथ एक बैठक कर उक्त मामले की शिकायत कलेक्टर को करने का फैसला किया। अगले दिन महिलायें वामा के एनिमेटर तथा गांव के कुछ लोगों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची। कलेक्टर से इस मामले की शिकायत कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की। कलेक्टर ने दूसरे ही दिन आदेश देकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निलंबित कर दिया। साथ ही स्कूल में रखा सड़ा हुआ दलिया फिकवाया दिया गया।

ग्राम बामोरी में ही मध्याह्न भोजन में एक बच्चे को बासी रोटी दी गई। बच्चे ने यह बात अपनी मां को बताई और उक्त महिला ने यह बात सबला समूह की महिलाओं को। सबला समूह की महिलाओं ने मुद्दे को गंभीरता से लिया। गांव वालों को इकट्ठा कर उक्त मामले का एक पंचनामा तैयार किया गया तथा एस.डी.एम. गंजबासौदा को इसकी शिकायत की गई। एस.डी.एम. गंजबासौदा द्वारा कार्यवाही न करने पर महिलाओं ने विदिशा कलेक्टर को ज्ञापन दिया। फलस्वरूप संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया। साथ ही पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष व सचिव को अपने पद से हटा दिया गया।

ठसी गांव में महिलाओं ने एक अन्य मामले में आवाज बुलंद की। गांव में कई महीनों से ए.एन.एम. नहीं आ रही थी। इसके चलते गांव में महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ। सबला समूह की महिलाओं ने टीकाकरण न होने की सूचना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दी और उनसे कहा कि यह बात कलेक्टर तक पहुंचा दें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कोई पहल नहीं की, तो सबला समूह के बैनर तले गांव की महिलायें संगठित हुई। इन महिलाओं ने पंचायत से मामले का पचंनामा बनवाकर कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। परिणाम यह हुआ कि कलेक्टर के आदेश से स्वास्थ्य विभाग के सुपरवाइजर अगले दिन ही मामले की जांच करने बामोरी पहुंचे तथा गांव में टीकाकरण करवाया। □

बदल रहा परिदृश्य

सबला परियोजना के सार्थक परिणाम

सबला परियोजना के तहत कार्य करते हुए वामा संस्था महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग कर रही है। इसी उद्देश्य के तहत संस्था ने महिलाओं को परिवार परामर्श केंद्र तथा थानों का भ्रमण करवाया। उन्हें इनकी प्रक्रिया से भी अवगत कराया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह बिना किसी डर के परामर्श केंद्र और थानो की सहायता ले सकें। इसके सार्थक परिणाम भी सामने आये हैं। अब आवश्यकता पड़ने पर महिलायें बेखौफ होकर थाने व परामर्श केंद्र पहुंच रही हैं। ग्राम देरखी में ही समूह की महिलाओं ने महिला व घेरलू हिंसा के चार मामले परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से सुलझाये हैं। वहीं एक अन्य मामले में महिलाओं ने थाना प्रभारी पर दबाव बनाकर एक महिला को अपना अधिकार दिलवाया। यह मामला घरेलू हिंसा से इतर महिला के साथ बदसलूकी का था।

ममला यह था कि 13 जून 2006 को लालपठार की शिवकली बाई रात को अपने बच्चों के साथ अपने आंगन में सो रही थी। उस समय पति घर पर नहीं था। इस बात का फायदा उठाकर पड़ोस में रहने वाला हरिसिंह लोधी बागड़ कूदकर उसके आंगन में आया और बुरी नीयत से शिवकली बाई के पलंग के पास आकर खड़ा हो गया। अचानक आहट के एहसास से शिवकली बाई की नींद खुल गई। वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी, जिससे हरिसिंह भाग खड़ा हुआ। इस घटना के बारे में शिवकली ने सबला समूह की महिलाओं को बताया, तो उन्होंने उसे थाने में रिपोर्ट करने की सलाह दी। थाने में शिवकली बाई की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अंततः समूह की महिलायें संगठित होकर थाने पहुंची और दबाव बनाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 456 के तहत मामला दर्ज कर लिया।□

पानी के लिए एक संघर्ष

गंदा पानी पीने की मजबूर नहीं

जब गांव की महिलायें संगठित व जागरुक हो जाएं, तो वहां कोई भी समस्या कितने दिन टिक सकती है। इस तरह से वे किसी भी कठिन कार्य को अपने हाथ में लेकर उसे उसके सार्थक अंजाम तक पहुंचा सकती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया है लालपठार गांव की महिलाओं ने। ये महिलायें गांव की एक बड़ी समस्या लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंच गईं और उस समस्या को दूर करके ही दम लिया।

गंजबासोदा के समीप स्थित ग्राम लालपठार में पानी की गंभीर समस्या थी। गांव में जितने भी हैंडपम्प थे या तो वे सूख चुके थे या खराब हो चुके थे। इसके चलते गांव की महिलाओं को दो-तीन कि.मी. दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था। इतनी मशक्कत के बाद जो पानी मिलता था, वह भी इतना गंदा होता था कि उसे पीने का मतलब था जान जोखिम में डालना। लेकिन गांव के लोग उसे पीने को मजबूर थे। सबला समूह तथा अन्य समूह की महिलाओं ने इस गंभीर समस्या पर चिंतन किया। यह समस्या पंचायत तक पहुंचाई गयी, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पंचायत से जब समस्या का हल नहीं हुआ, तो महिलाओं ने क्षेत्र के विधायक के सामने इसे रखा, लेकिन यहां से भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। इसी दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का गंजबासौदा आगमन हुआ। सबला समूह की महिलाओं ने तय किया कि वह इस समस्या को मुख्यमंत्री के सामने उठायेंगीं। सबला समूह की महिलाओं ने गांव की 60-70 महिलाओं को संगठित किया। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा मजबूरी में पीये जा रहे गंदे पानी को बोतल में भरा और मुख्यमंत्री को बोतल का पानी दिखाते हुए बताया कि गांव के लोग किस प्रकार गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। साथ ही उन्हें गांव के हैंडपंप की स्थिति भी बताई और उन्हें सुधरवाने के लिए एक आवेदन भी दिया। मुख्यमंत्री ने उसी समय गंजबसौदा के एस.डी.एम. को तीन-चार दिन के अंदर गांव के हैंडपंप ठीक कराने का आदेश दिया। लेकिन जब तीन-चार दिन बाद भी हैंडपंप ठीक नहीं हुए, तो महिलायें फिर से संगठित होकर क्षेत्र के विधायक के पास अपनी समस्या लेकर पहुंची। परिणामस्वरूप दूसरे दिन ही प्रशासन ने अमला भेजकर ग्राम लालपठार के सभी हैंडपंप ठीक कराये और आज लालपठार में पानी की कोई समस्या नहीं है। लाल पठार में वामा द्वारा खड़े किये गये समूह की महिलओं ने संगठित होकर इतने बड़े काम को अंजाम दिया, जिसमें काबिल-ए-तारीफ तो यह है कि उन्होंने इस काम में वामा के किसी भी कार्यकर्ता की सहायता नहीं ली। □

बदली जिंदगी की दिशायें

संगठित प्रयास से मिलती हैं मंजिल

संगठित प्रयास से जिंदगी का रुख सही दिशा में मोड़ा जा सकता है और इस तरह विकास के नये आयाम खुलते जाते हैं। इस बात को साबित किया है रवार गांव की महिलाओं ने। रवार गांव ग्वालियर से 18 कि.मी. दूर ग्वालियर-दतिया पहुंच मार्ग पर अडुपुरा मोड़ से 2 कि. मी. अंदर प्रकृति की गोद में बसा एक नैसर्गिक गांव है। वामा संस्था ने यहां चार साल पहले स्वयं सहायता समूह बनाकर कार्य करना शुरू किया था। इ नहीं स्वयं सहायता समूह में से एक काली स्वयं सहायता समूह की सदस्य गिरजा ने महिला नेतृत्व की सार्थकता को सिद्ध किया। उन्होंने न केवल अपने समूह का कुशल संचालन किया, बल्कि अन्य चार समूहों का गठन कर ऐसी गतिविधियों की शुरूआत, जिससे महिलाओं को आय के साधन मिलें हैं। गांव की दो महिलाओं द्वारा दुकानों का संचालन शुरू किया गया, जिनमें समूह की एक सदस्य मदिना बाई अपनी चूड़ियों की दुकान से 100 रुपये प्रतिदिन की आय प्राप्त करती हैं। दूसरी ओर काली स्वयं सहायता समूह ने क्रांतिकारी कदम उठाते हूए बैंक से पाँच हजार रुपये का लोन लेकर दो बीघा उपजाऊ जमीन किराय पर ली। इस जमीन पर सब्जियों का उत्पादन शुरू किया। इस व्यवसाय से एक साल के अंत तक प्रत्येक महिला को 1000 रुपए का लाभ हुआ। संगठन बनाकर काम करने से विकास होता है, इसे सार्थक किया रवार गांव की महिलाओं ने।□

पहल तो करनी ही होगी

कब तक जुल्म सहेगी लाखों रामसुखी

रामसुखी बाई धानक पिता पन्नालाल निवासी बागरी की शादी पप्पू सिंह पिता लक्ष्मण सिंह निवासी बेलनार तह. नटेरन से 18 साल पहले हुई थी। शादी के दो साल तक सुख शांति से सामान्य जिंदगी चलती रही, लेकिन इसके बाद तो रामसुखी बाई की खुशियों को जैसे ग्रहण ही लग गया। अब शुरू हुई जुल्म की लंबी दास्तान, जो आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शादी के दो साल बाद ही पप्पू सिंह ने अपनी पत्नी को छोटी-छोटी बातों पर मारना-पीटना शुरू कर दिया। जिन बातों का बहाना बनाकर वह मारपीट करता, उनका कोई आधार ही नहीं था। इसी बीच पति ने गांजे और शराब को मुंह लगा लिया। अब वह पत्नी पर दबाव डालने लगा कि वह कमाकर भी लाये। मजबूरी के चलते रामसुखी बाई घर चलाने के लिए कमाकर लाती और पति मार-पीट कर शराब-गांजे के लिए सारे पैसे छुड़ा लेता। रामसुखी बाई अपने बच्चों की खातिर सारे जुल्मों को सहती चली गई। लेकिन एक दिन जब इन सबकी हद हो गई, तो उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके लिए भी पीड़िता को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पति ने पुलिस का मुंह पैसों से भर दिया, जिससे पप्पु सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसके बाद छह साल तक यह मुकदमा अदालत में चलता रहा।

पति ने बाद में रामसुखी बाई को बहला-फुसलाकर यह कहते हुए कि अब वह मारपीट नहीं करेगा, राजीनामा करवा लिया। उसने भी अपने तथा बच्चों के भविष्य को देखते हुए राजीनामा करना ही सही समझा। राजीनामा के बाद सात साल तक पति ने पीड़िता के साथ मारपीट नहीं की। यह सात साल पति-पत्नी ने शांति पूर्वक साथ बिताये, लेकिन इसके बाद फिर वही कहानी शुरू हो गई। पति के अत्याचार के बावजूद रामसुखी मजबूरी के चलते छह साल तक उसके साथ रही। इसी दौरान कई बार उसकी जान तक पर बन आई। पति ने एक बार उसे घांसलेट का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की। बमुश्किल वह अपने आपको बचा पाई। अपनी मां के साथ पीड़िता ने विदिशा थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश भी की, जो नहीं लिखी गई। इसी तरह रामसुखी बाई के पति ने एक बार उसका गला दबाकर मारने की कोशिश भी की। अंततः तंग आकर रामसुखी बाई एक साल से अपने सात वर्षीय पुत्र और तीन वर्षीया पुत्री के साथ किराये का मकान लेकर बागरी गांव में रह रही है। अब भी उसका पति कभी-कभी बागरी आकर पीड़िता तथा उसके बच्चे के साथ मारपीट करता है। यही नहीं अगर पीड़िता बाजार या किसी और स्थान पर मिल जाती है, तो वहीं उसके साथ गाली-गलोच तथा मारपीट करने लगता है। इसी के चलते वह न तो बाजार में निकल पाती है और न ही ठीक से मजदूरी कर पाती है। वह अपने पति की दहशत के साये में जी रही है। जब पीड़िता को पता चला कि गांव में वामा संस्था महिला हिंसा के लिए काम कर रही है, तो उसने अपनी दास्तान सबला समूह कि महिलाओं को बताई। सबला समूह की महिलाओं ने वामा के कार्यकर्ता को उक्त मामले के बारे में बताया। जब वामा के कार्यकर्ता शैलेन्द्र वर्मा पीड़िता की दास्तान सुनने गए, तो पहले तो उसने डर के मारे कुछ नहीं बताया, लेकिन बार-बार समझाने पर उसने जो दास्तान सुनाई उसे सुनकर वहां मौजूद लोगो का दिल भींग गया।

रामसुखी ने वामा कार्यकर्ता से गुहार लगाई है कि उसे अपने पति के जुल्मों से मुक्ति दिलाने में उचित सहायता करें। वामा कार्यकर्ता द्वारा सबला समूह की महिलाओं के साथ रामसुखी बाई को थाने ले जाकर महिला पुलिस अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया गया। यहां रामसुखी बाई ने अपनी दास्तान पुलिस अधिकारी को बताई। आज वामा तथा सबला समूह की महिलाओं की पहल पर पंद्रह साल से घरेलू हिंसा झेल रही रामसुखी बाई को न्याय मिल रहा है। हमारे समाज में ऐसी बहूत सी रामसुखी बाई हैं, इस तरह पीड़ित हैं। उनकी मजबूरी यह है कि वह कुछ कर नहीं पातीं। वह तो यह सोचती हैं कि समाज में पुरुष की ताकत के आगे वह कुछ भी नहीं है, इसलिये चुपचाप सबकुछ सहती चली जाती हैं। इन महिलाओं को अगर न्याय दिलाना है, तो हमें एक छोटी सी पहल तो करनी ही होगी। □

जब तलाक ही बचा अंतिम विकल्प

पति सुधर जायेगा, इसी आस में भोगी नौ साल लंबी पीड़ा

पत्नी के लिए कितना असहनीय होता है, इस बात का सामना करना कि पति के नाजायज संबंध हैं। इस पर भी इस आस से सब कुछ सहती रहती है कि अपनी समझाइश और प्यार से वह पति को वापस पा लेगी। इसी आस में ज्योति ने दस साल गुजार दिये। इन दस सालों में उसने क्या नहीं सहा- पति की उपेक्षा, मानसिक प्रताड़ना, उजड़ी गृहस्थी का दर्द और भी बहूत कुछ, जिसे ज्योति के अलावा कोई और बयां नहीं कर सकता। अब उसके सामने एक ही रास्ता है- तलाक।

ज्योति का विवाह दस साल पहले 18 जून 1997 को प्रहलाद से हुआ था। प्रहलाद शमशाबाद निवासी बारेलाल का बेटा है। शादी के बाद बमुश्किल एक साल ज्योति के लिए शुकून भरे गुजरे। इसके बाद पति का होना न होना उसके लिए बराबर था। एक तो कम उम्र में शादी होना और उस पर भी पति के अपनी भाभी के साथ नाजायज संबंध उजागर होने से ज्योति के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन उसने अपने आप को समझाया कि वह अपने प्यार पति को सही रास्ते पर ले आयेगी। इसी उम्मीद में उसने अपने पति से चर्चा की और समझाया कि वह अपनी भाभी से संबंध तोड़ दे। यह ज्योति के लिए जैसे गुनाह हो गया। पति ने उसे घर में हाशिये पर रख दिया गया। उसे उपेक्षित किया जाने लगा और एक नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा। उसे न समय पर खाना नसीब होता, न बीमार होने पर इलाज। बस दिनभर किसी न किसी काम में उलझाकर रखा जाता था। उसे पल भर भी आराम नहीं मिलता। पति तो पति, जेठानी ने भी ज्योति को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह जब-तब छोटी-छोटी बातों को लेकर ताने मारती रहती और ज्योति के पति के कान भरती रहती। ज्योति ससुराल में घुट-घुट कर जीने को मजबूर थी, क्योंकि उसने अपने पति से अलग कभी किसी दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं था। इसी का फायदा उठाकर पति उस पर जुल्म करता रहा। ज्योति के सास-ससुर जब अपने बेटे को समझाते, तो वह आत्महत्या करने की धमकी देता। इसलिए वह भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। ज्योति की शादी के पहले भी एक बार लड़के के माता पिता ने लड़के को समझाने की कोशिश की थी। इस पर लड़के की भाभी ने जहर खाने का प्रयास किया था। जब पति के जुल्म और उपेक्षा सहने की अति हो गई, तो ज्योति ने यह बात अपने मायके वालों को बतायी, लेकिन इससे भी समस्या का कोई हल नहीं निकला। सब कुछ ठीक होने की आशा में ज्योति ने थोड़ा समय मायके तथा थोड़ा समय ससुराल में रहते हुए दस वर्ष बिता दिये। अब पिछले डेढ़ साल से वह मायके में रह रही है और अपनी किस्मत का फैसला होने की बाट जोह रही है। वह चाहती है कि उसे उसके पति से तलाक मिल जाये, लेकिन पति है कि तलाक देना ही नहीं चाहता। पति को डर है कि अगर उसने तलाक



पुलिस अधिकारी को अपना प्रकरण सुनाते हुए ज्योति कुशवाह

दे दिया, तो ज्योति अलग हो जायेगी और उसके नाजायज संबंधों की हकीकत सबके सामने आ जायेगी।

यळ मामला सबला समूह की महिलाओं के माध्यम से प्रकाश में आया। सबला समूह की महिलाओं ने परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से इसे सुलझाने का प्रयास किया। परामर्श केंद्र से मामला न सुलझने पर वामा के पैरवी समनवयक शैलेन्द्र वर्मा ने ज्योति की तरफ से न्यायलय में तलाक का केस लगाने हेतु विधिक सहायता प्राधिकरण में विधिक सहायता चाहने के लिए आवेदन किया। विधिक सहायता के तहत ज्योति की कोर्ट फीस माफ हो गई तथा केस लड़ने के लिए एक वकील उपलब्ध कराया गया। वकील के माध्यम से ज्योति ने तलाक का केस लगाया है, जिसका फैसला होना अभी बाकी है।□

घर की शांति के लिए बंटवारा!

जरूरी हो जाते हैं ऐसे फैसले

क्भी-कभी जब हालात ऐसे बन जाते हैं, जिनमें समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ जाते हैं, जो सामाजिक मूल्यों व नैतिकता के आधार पर उचित नहीं होते। एक संयुक्त परिवार को फाड़कर दो हिस्सों में बांट देना, ऐसे ही फैसलों में से एक है। इसे उस स्थिति में ही सही ठहराया जा सकता है, जब परिवार में शांति का कोई और रास्ता न बचे।

चार साल पहले द्रोपदी बाई का विवाह दरेखी निवासी गौरीशंकर से हुआ था। शादी के बाद साल भर तक सब सामान्य चलता रहा, लेकिन फिर वही घर-घर की कहानी की तरह छोटी-छोटी बातों पर सास-बहू के झगड़े होने लगे। सास का बहू की बातें न सुनना और बहू का सास की बाते न मानना झगड़े की जड़ थी। दोनों को



सास बहू के झगड़े को सुलझाते हुए वामा के कार्यकर्ता

एक-दूसरे का व्यवहार अच्छा न लगने लगा। सास, बहू के ऊपर आरोप लगाती रहती कि उसने लड़के के कान भर दिये हैं, इसलिये लड़का अपनी कमाई घर में बिल्कुल नहीं देता है। लड़का बहू के कहने में चलता है। इन सबके चलते रोज झगड़े होते, जो कभी-कभी भयानक रूप भी ले लेते थे। दोनों मिलकर खूब एक-दूसरे के चरित्र पर कीचड़ उछालते। इन झगड़ो को द्रोपदी का पति और ससुर मूकदर्शक बनकर देखते रहते, लेकिन कभी इनमें हस्तक्षेप नहीं करते। धीरे-धीरे यह नौबत आ गई कि सास-बहू का झगड़ा दिन-दिन भर चलता रहता और सास अपनी बहू को पीट भी देती। यह बातें धीरे-धीरे मोहल्ले से होती हुई पूरे गांव में फैल चुकी थी। वामा एनिमेटर मुन्ने खान और सबला समूह की महिलाओं के कानों में भी इस बात की भनक लगी। इन लोगों ने एक-दो बार दोनों को समझाने की कोशिश भी की।

मुन्ने खान और सबला समूह की महिलाओं द्वारा समझाये जाने से कुछ दिन के लिए स्थिति सुधर जाती, लेकिन फिर किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता। एक दिन सुबह से जो झगड़ा शुरु हुआ, तो शाम तक चलता रहा। यह बात पता चलने पर वामा के कार्यकर्ता शैलेन्द्र वर्मा, विष्णु जायसवाल तथा मुन्ने खान उनके घर पहुंचे। वहां जाकर देखा कि सास-बहू एक दूसरे पर आरोप और लांछन लगाते हुए बुरी तरह झगड़ रही है। वामा कार्यकर्ता ने पहले दोनों को चुप कराया। फिर घर के सभी सदस्यों को बुलाकर सास और बहू दोनो के पक्षो को सुना। नतीजा यह निकला कि सास और बहू में बात इतनी बिगड़ चुकी है कि वह किसी भी स्थिति में साथ नहीं रही सकती। अगर वह साथ रह भी लें, तो उनके झगड़े से आगे चल कर कोई बड़ी घटना घट सकती है। किसी भी स्थिति में दोनो में समझौता होना संभव ही नहीं था।

अब इस समस्या का एक ही हल सामने था कि दोनों अलग-अलग रहें और एक-दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करें। शायद यही स्थायी हल था। अतः तय हुआ कि बहू अपने साथ जो सामान लेकर आयी थी, वह बहू के पास ही रहेगा...सास ने अपना पूरा सामान अपने पास रख



फैसले से संतुष्ट द्रोपदी बाई अपने घर में

लिया तथा तय हुआ कि अब बहू उस सामान का इस्तेमाल नहीं करेगी...आपसी समझ से घर का बंटवारा कर यह तय किया कि आगे से वे एक-दूसरे के घर में कदम नहीं रखेंगी। इस तरह उनमें कभी झगड़ा ही नहीं होगा। वामा कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति में समान तथा घर के बंटवारे की कार्यवाही पूरी करवाई। साथ ही दोनों ने लिखित रूप में शपथ ली कि आगे से वे आपस में झगड़ा नहीं करेंगी। समझौता के दौरान ग्राम सरपंच ताहिर अली, द्रोपदी की नंद, पति व ससुर भी वहां मौजूद थे।

इस मामले में सास-बहू की लड़ाई के कारण एक [illegible] बंटवारा करना पड़ा, जो कतई उचित नहीं था, लेकिन यह जरूरी हो गया था। अगर यह बंटवारा नहीं किया जाता, तो जो कुछ भविष्य में घटता, उससे शायद दोनों की जिंदगी तबाह हो जाती। स्थिति जब काबू से बाहर हो जाये, तो कभी-कभी वह कदम भी उठाने पड़ते है, जो हमारे नियमों के विरुद्ध हों। बस ऐसा ही कुछ इस मामले में वामा संस्था ने किया। आज सास और बहू दोनों बिना किसी विवाद के अपने-अपने घर में खुश हैं।□

महिलाओं के अधिकार के लिए

सबला समूह के माध्यम से सशक्तिकरण का प्रयास

महिलायें गरीबी और पारिवारिक उपेक्षा के चलते दुःख के भंवर में फंसी हुई हैं, वहीं वे हर क्षेत्र में सफल हो रही हैं। बावजूद इसके उनपर होने वाले अत्याचार व अपराधों में कोई खास कमी नहीं आई है। महिलाओं को समाज का शक्तिशाली अंग बनाने और विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदार सुनिश्चित करने के लिए जरूरत है, उन्हें अधिकार देने की। ऐसी ही पहल की है वामा ने।

गांव में व्याप्त पर्दाप्रथा, रूढ़ियां, बेवजह के रीति-रिवाजों के बंधन, घर की चारदीवारी तक सीमित अधिकार तथा पति की सेवा में ही स्त्री सुख है, जैसी मान्यतायें वर्षों से महिलाओं के लिए मुसीबत रही हैं। इसकी के चलते सागर जिला के रहली विकासखंड अतंगर्त आने वाले गांव दरारिया, मुर्गा, बाछलौन, चंदोला और कंदला में स्त्री पर अत्याचारों का सिलसिला अनवरत् जारी था। इसका प्रमुख कारण महिलाओं का संगठित व जागरूक न होना, उनका निरक्षर होता तथा इसके साथ ही आय के साधनों का पर्याप्त न होना था। वामा संस्था ने पहल कर एक ऐसा दबाव (सबला) समूह तैयार किया है, जो ग्रामीण और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए संघर्ष करता है। समूह महिलाओं को समाज का शक्तिशाली अंग बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही यह विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहा है। इसके लिए यह प्रयास किये जा रहे हैं कि महिलाओं को उसे अधिकार मिल सके।

इन गांवों में बाल महिला विकास समिति ने पैक्स परियोजना (महिला हिंसा व अत्याचार के विरुद्ध जमीनी स्तर पर कार्यवाही, पैरवी, नागर समाज संजाल व सरकार के साथ सहयोग) के माध्यम से गांव में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास आरंभ किये। लगभग डेढ़ साल बाद गांव में एक सशक्त समूह का निर्माण किया। इसका मुख्य कार्य गांव में व्याप्त बुराईयों जैसे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, पर्दाप्रथा, महिलाओं पर होनें वाली शारीरिक व मानसिक हिंसा के विरुद्ध तथा गांव के विकास कार्यों के प्रति अपनी महत्ती भूमिका निभाना था। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन करते हुए सबला समूह ने गांव में धीरे-धीरे अपने कार्यो को अंजाम देना शुरू कर दिया। इसकी शुरूआत की कन्या भ्रूण हत्या व बाल विवाह जैसी बुराइयों को रोकने से। स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद सबला समूह ने अपने कार्यो को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सागर महिला पुलिस थाने का भ्रमण कर कानूनी अधिकारों के बारें में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। संस्था कार्यकर्ताओं, महिला पुलिस थाने तथा परिवार परामर्श केंद्र के सहयोग से एक 'ग्रामीण स्तरीय महिला हिंसा समस्या और समाधान शिविर' का आयोजन किया गया। इसमें गांव की पीड़ित महिलाओं से अपनी-अपनी समस्या एक सादे कागज पर लिखकर शिविर में समाधान हेतु प्रस्तुत करने को कहा गया। □

जन्म से पहले ही खो गई बेटियां

सजा के डर से सिल गया मुंह

25 वर्षीय मीरा ग्वालियर जिले के मुरार विकासखण्ड में आने वाले नागौर गांव की रहने वाली हैं। परिवार में तीन लड़कियां पहले से ही थीं, इसलिये इस बार गर्भधारण के बाद सास-ससुर व पति ने लिंग परीक्षण करवाने का मन बना लिया था। मीरा को जबरिया लिंग परीक्षण कराने के लिए 17 जुलाई 2002 को चौरसिया नर्सिंग होम ले जाया गया। मीरा रोती रही, क्योंकि वह जानती थी कि अगर गर्भ में लड़की हुई, तो उसकी बलि निश्चित है। डाक्टर ने मशीन से मीरा के गर्भ की जांच और बताया गया कि उसके गर्भ में बालिका का भ्रूण है। मीरा को ऑपरेशन थियेटर ले जाया गया, जहां उसे बेहोश कर उसका गर्भपात कर दिया गया। अब मीरा की उदास सूनी आँखों में अपनी अजन्मी बिटिया को खो देने का दर्द तैरता रहता है। पीएनडीटी एक्ट कहता है कि गर्भ परीक्षण करने और कराने वाले दोनों को ही सजा का हिस्सेदार बनना होगा। इसी डर से मीरा का मुंह सिल गया।

गर्भ में एक और हत्या

ग्राम सिकरोदी की 26 वर्षीय कमला की भी यही कहानी है। ससुराल में जन्मीं परिस्थितियों के कारण 19 अप्रैल 2002 को कमला को लिंग परीक्षण कराना पड़ा। गर्भ में लड़की होने के कारण 21 अप्रैल 2002 को चौरसिया नर्सिंग होम में एक और बालिका भ्रूण की हत्या की गई।

जन्मांध के बिखरते ख्वाब

न्याय के इंतजार में एक परित्यक्ता

भगवान ने जिसे बेनूर आंखों के साथ जन्म दिया, उन्हें भी एक साथी की जरूरत होती है, जिसकी आंखों से वह इस दुनिया को देखे।ऐसे ही कुछ ख्वाब थे उसकी आंखों में, जो अब बिखरते नजर आते हैं।

अनीता की शादी सांची के रहने वाले तखत सिंह पाल से छह साल पहले हुई थी। अनीता जन्म से ही अंधी है, यह जानते हुए कोई उसका हाथ थाम ले, तो उसके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। तखत पाल ने जन्मांध अनीता को अपनाया और उसके परिवारजनों को भरोसा दिलाया कि वह उम्रभर अनीता का साथ देगा। अनीता के पिता ने गृहस्थी का सभी सामान, जेवर और नगदी के साथ बेटी को विदा किया था। विधाता का विधान जन्म से ही अनिता के लिए अभिशाप बनता रहा है। आंखों मिली, मगर रोशनी नहीं। मां का निधन हो गया और उसे ममता से मोहताज रहना पड़ा और पिता खराब स्वास्थ्य के कारण कुछ भी कर सकने में असमर्थ। शादी के बाद उसे कुछ सुख मिलने की उम्मीद थी, लेकिन यहां भी उसके सपनों को ग्रहण लग गया। उम्र भर उसका साथ देनी की कसम खाने वाला पति उसके साथ मारपीट करने लगा। उसके परिवारजनों से दहेज में एक बीघा जमीन की मांग करने लगा। दो साल तक अनीता पति की मारपीट, अत्याचार और दहेज के लिए दिये गए उलाहना सहती रही। तखत सिंह पाल ने दूसरी औरत को घर में रख लिया और अनीता को घर से निकाल दिया। पिता अपनी लाचार बेटी को अपने घर लाये। अनीता आंखें न होने के कारण कोई भी कार्य नहीं कर सकती और उसके पिता टी.बी. के मरीज हैं। अनीता अपनी ननंद के पास रहकर किसी तरह से अपना जीवनयापन कर रही है। अब भी पति लगातार उससे दहेज की मांग कर रहा है और मांग पूरी न होने पर दूसरी शादी की धमकी भी देता है।



विवाह के मंडप में अनीता अपने पति तखत पाल सिंह के साथ

वामा कार्यकर्ताओं के ग्राम भ्रमण के दौरान यह मामला प्रकाश में आया। कार्यकर्ताओं द्वारा आरोपी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उम्मीद है कि पीड़ित महिला को न्याय और कानूनी हक मिल सकेगा। □

ममता बनी ढाल

यह एक महिला के संघर्ष की कहानी है, जिसकी नायिका न तो परी कथा सी रोमांटिक है और न ही दैवीय शक्तियों से संपन्न। बावजूद इसके उसने अपनी इच्छाशक्ति के बूते परिस्थितियों के अपनी तरफ मोड़ ही लिया। आम लड़कियों की तरह ही 17 साल की उम्र में रुकमणी तेजसिंह के घर ब्याहकर आई। उसका ससुराल सीहोरा गांव ठाकुर समूदाय का गांव था, जहां की हवाओं में सामंतवादी बू अभी भी बरकरार थी। यहां पर्दाप्रथा बदस्तूर जारी थी, घर के सारे निर्णय पुरुष लिया करते थे। ऐसे गांव के इस परिवार में सास की इकलौती बहू के रूप में रुकमणी ने कदम रखा।

रुकमणी ससुराल में काफी खुशी थी। जब रुकमणी गर्भवती हुई, तो घर में जश्न जैसा माहौल था। सभी बच्चे को अपनी गोद में लेने के लिए बेकरार थे। अचानक रुकमणी की ममता पर वज्रपात हुआ। जब पता चला कि होने वाली संतान लड़की है, तो सभी के चेहरे बुझ गये। रुकमणी की सास ने उस पर गर्भपात कराने के लिए दबाव बनाने लगी। रुकमणी की उपेक्षा और उसक पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हो गया। तमाम दिक्कतों के बावजूद रुकमणी की ममता अपनी बच्ची को खत्म करने को तैयार नहीं था।

रुक्मणी के ससुराल पक्ष ने प्रसव व चिकित्सकीय सहायता के लिए साफ मना कर दिया। अब रुकमणी के सामने सुरक्षित प्रसव और चिकित्सकीय सहायता की समस्या खड़ी हो गई। इस विकट परिस्थिति में सहायता के लिए आगे आया रुकमणी का ही ज्योति स्वसहायता समूह। ज्योति स्वसहायता समूह की महिलाओं ने रुकमणी की देखभाल का जिम्मा उठाया। उन्होंने समूह से 2000 रुपये रुकमणी के खर्च के लिए निकाले। सभी महिलाओं ने बारी-बारी से मदद कर रुकमणी की हिम्मत को बनाये रखा। आज रुकमणी और उसकी बेटी स्वस्थ्य है तथा अपने घर पर है।

रुकमणी ने आत्मशक्ति के बल पर परिवार की उपेक्षा व प्रताड़ना को सहते हुए अपनी बच्ची को जन्म दिया। रूढ़ियों में ढंके एक गांव की महिला के लिए यह इस प्रकार संघर्ष बहूत बड़ी बात है, जबकि आज की आधुनिक महिलायें भी अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पातीं हैं। □

और उसे बचा लिया गया

ग्राम सिकरौदा, विकासखंड मुरार, जिला ग्वालियर की 22 वर्षीय ममता की पहली बच्ची की मौत के बाद जब दूसरी बच्ची गर्भ मे आ गई, तो उसे मारने की कवायत शुरू हो गई। इसके साथ उस अजन्मीं बच्ची को बचाने के प्रयास भी शुरू हो गये। वामा कार्यकर्ता इस पर शुरू से ही नजर रखे हुए थे। वामा कार्यकर्ताओं के प्रयास, तमाम मान-मनौव्वल तथा गांव-समाज के दबाव परिणाम यह हुआ कि गर्भ में एक बच्ची की मौत को रोका जा सका। यह वहां संभव हो सका, जहां लोग सक्रिय और जागरुक हैं, लेकिन जो समाज अभी भी सोया हुआ है, वहां क्या हो रहा होगा ?

भ्रूण हत्या रोकने के सार्थक प्रयास

भ्रूण हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ लड़कियों के अस्तित्व पर संकट भी गहराता जा रहा है। इस स्थिति में भ्रूण हत्या को रोकने के प्रयास करना और अंततः एक लड़की को जन्म से पहले मिलने वाली मौत से बचा लेना, बहूत बड़ा काम है। ऐसे कुछ मामले सामने आयें हैं, जब संगठित प्रयास से अजन्मीं बच्चियों को जन्में का हक मिला है। ऐसे ही कुछ उदाहरण पेश हैं-



तलाक-तलाक-तलाक

धार्मिक कानून या मनमानी की छूट

दहेज का धर्म से सीधा कोई संबंध नहीं है। इसका शिकार तो केवल महिलायें हैं, फिर चाहे वह हिन्दू हो अथवा मुसलमान। हां कुछ धार्मिक कानून ऐसे हैं, जो दहेज जैसी बुराई को पोषित करते रहते हैं। इन कानूनों का दम भर बेटी वालों पर दबाव बनाया जाता है कि वे बेटे वालों की हर मांग को पूरा करें। वहीं दूसरी ओर कुछ सक्षम बेटी वाले अपनी दौलत के दम पर दूल्हे खरीद लेते हैं और एक गरीब बाप

रेशमा बानो भी दहेज और धार्मिक कानून के नाम पर मुश्किलों से गुजरी हैं। इन मुश्किलों ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा रही हैं। गंजबासोदा तहसील के घटेरा गांव की 27 वर्षीया रेशमा बानो का निकाह 7 दिसम्बर 1996 को सलीम खां पिता शमशाद खां निवासी सुमेर (तहसील-ग्यारसपुर) से मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। शादी के बाद जिंदगी हंसी-खुशी गुजर रही थी। रेशमा गर्भवती हुई और परिवार में नए मेहमान का बेसब्री से इंतजार होने लगा। रेशमा ने एक लड़की को जन्म दिया, तो घर में सास-बहू के बीच थोड़े-थोड़े झगड़े होने लगे। रेशमा को परेशान किया जाने लगा, लेकिन जब रेशमा की दूसरी सन्तान का जन्म हुआ, तो स्थिति में सुधार आया, क्योंकि इस बार उसने लड़के को जन्म दिया था। उसे सास की प्रताड़ना से थोड़ी राहत मिली। यह राहत उस वक्त प्रताड़ना में बदल गई, जब रेशमा ने तीसरी संतान के रूप में लड़की को जन्म दिया। अब प्रताड़ना का वही सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। सास-बहू का झगड़ा धीरे-धीरे विकराल रूप लेने लगा। सास के साथ-साथ पति और ननद उसके साथ मारपीट पर उतर आते। रेशमा के साथ मारपीट और झगड़ा बढ़ता गया, लेकिन वह अपनी गृहस्थी को टूटने से बचाने के लिए सबकुछ चुपचाप सहती रही। करीब एक साल पहले जब सास-बहू का आखिरी बार झगड़ा हुआ, तब सास, ननद और पति ने रेशमा पर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की। वह किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर भागी। रिश्तेदारों तथा समाज के लोगों के दबाव में पति रेशमा को मनाकर अपने घर ले आया। दूसरे दिन वह रेशमा को मायके छोड़ आया और विश्वास दिला गया कि वह बाद में लेने आयेगा। रेशमा उसका इंतजार करती रही और कुछ दिन बीतने पर उसने दो-तीन बार पति को फोन भी लगाया, लेकिन उसे यही आश्वासन मिलता रहा कि वह बहूत जल्दी ही वापस लेने आयेगा। रेशमा ने चार-पांच महीने अपने पति का रास्ता देखा। एक दिन जब उसने सुना कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है, तो वह अपने पिता तथा एक अन्य रिश्तेदार के साथ अपने ससुराल पहुंची। उसने पति से लेने न आने का कारण पूछा, तो पति ने बताया कि वह काम धंधे मे व्यवस्त था, इसलिए नहीं आ सका। रेशमा को यह आश्वासन देकर कि वह जुलाई की 20 तारीख को लेने आयेगा, वापस मायके लौटा दिया। पति तो उसे लेने नहीं आया, लेकिन ठीक पंद्रह दिन बाद उसने तलाक के कागज रेशमा को भेजे। कागजात में लिखा था कि वह पीड़िता को तलाक दे चुका है। रेशमा अपने पिता के साथ कागजात लेकर भोपाल कजियात पहुंचीं। काजी साहब ने समझाया कि अब तलाक हो चुका है और कुछ नहीं हो सकता। रही बात मैहर और भरण पोषण की राशि की, तो उसके लिए अदालत में जाइये। 27 मई 2007 को रेशमा को पता चला कि उसका पति सलीम दहेज के लालच मे दूसरी शादी कर रहा है। वह सुमेर पहुंची, लेकिन पति ने



रेशमा के मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस अधिकारी

यह कहकर उसे घर से भगा दिया कि रेशमा से अब उसका कोई रिश्ता नहीं है।

इस सदमें से आहत रेशमा अपने दो बच्चों के साथ आत्महत्या करने निकल पड़ी। गंजबासौदा स्टेशन पर रेशमा को रोता देख वामा के एनीमेटर मुन्ने खां ने उससे पूछताछ की, तो रेशमा ने सारी कहानी बयां की। इस पर वामा के एनीमेटर ने रेशमा को ढांढस बंधाते हुए न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया। मुन्ने खां ने दूसरे दिन पीड़िता के साथ गंजबासोदा थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाई। थाना प्रभारी ने पहले तो रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा तलाक हो चुका है। तुम रिपोर्ट कैसे लिखवा रहे हो। जब ऐनीमेटर द्वारा संस्था का हवाला दिया गया, तो पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली। इसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने भी पहुंची, जहां सलीम ने उन्हें बताया कि उनका तलाक हो चुका है। इस पर पुलिस वालों ने उसे दूसरे दिन थाने आने को कहा। दूसरे दिन दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया। दोनों से सवाल-जवाब किये गये और इसके बाद पीड़िता को घर भेजकर सलीम को वहीं रोक लिया गया। सलीम ने पुलिस वालो को घूस दे दी, जिससे उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। रेशमा ने बाद में थाने जाकर पूछा कि रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई है, तो थाने से जवाब मिला कि आप का तलाक हो चुका है और पुलिस अब कुछ नहीं कर सकती। समस्या काफी गंभीर थी, पति एकतरफा तलाक दे चुका था, लेकिन पत्नी इसे मानने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि बिना उसकी मर्जी के तलाक कैसे हो गया, लेकिन मुस्लिम विवाह अधिनियम के अनुसार यह तलाक वैध था। इस स्थिति में पीड़िता के भविष्य को देखते हुए वामा संस्था ने उसकी तरफ से भरण पोषण का केस अदालत में दायर किया। इसकी जानकारी होने पर रेशमा के ससुराल वालों ने वामा कार्यकर्ता से अदालत के बाहर ही रेशमा की शर्तो पर मामले को सुलझाने को कहा। 12 जून 2007 को अदालत में मामला सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को बुलाया गया, जहां वामा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गंजबासोदा अदालत में समझौते के दौरान पीड़िता तथा आरोपी के बीच यह तय हो गया कि बच्चों को सलीम अपने पास रखकर पालेगा तथा मैहर की दुगनी रकम व पूरा दहेज पीड़िता को वापस करेगा। इसके लिए दोनों को 15 जून 2007 को विदिशा बुलाया गया, लेकिन इस दिन सलीम वहां नहीं पहुँचा। इस बीच रेशमा के ससुराल पक्ष की तरफ से वामा कार्यकर्ता पर इस मामले से हाथ खींचने के लिए काफी दबाव बनाया गया। एक समाचार पत्र के संवाददाता द्वारा तो यह कहकर दबाव बनाने की कोशिश भी की गई कि मामले में हस्तक्षेप करने पर संस्था की छवि खराब कर दी जायेगी। इन धमकियों और दबाव के बावजूद संस्था ने रेशमा का मामला महिला हिंसा पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता तथा समाजसेवी संस्थाओं के बीच रखा। संस्था द्वारा उठाये गये इस कदम से समाचार पत्र ने बदले की भावना से प्रेरित होकर संस्था की छवि खराब करने के मकसद से संस्था के बारे में गलत-सलत बातें प्रकाशित की। इसके बाद भी केस को अदालत से वापस लेने के लिए वामा कार्यकर्ता तथा पीड़िता पर दबाव बनाया जाता रहा। लेकिन न तो पीड़िता ने हिम्मत हारी और न संस्था ने अपने कदम पीछे खींचे। परिणामस्वरूप आज रेशमा के भरण-पोषण का केस अदालत में चल रहा है। फिलहाल वह अपने दो बच्चों के साथ मायके में रह रही है और न्याय की आस में जीवन बिता रही है। □



राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान आपबीती बयाँ करती रेशमा बानो

रानी ने रोका खुद का बालविवाह

कच्ची मिट्टी को दिया सही आकार

बाल विवाह और उसके दुष्परिणाम की जानकारी ने ही रानी को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। वाक्या कुछ इस प्रकार है- रजाखेड़ी की 14 साल की लड़की रानी मां-बाप के निधन बाद अपनी बुआ के साथ रहने लगी थी। बुआ ने उसे अच्छी शिक्षा के लिए संजीवनी बाल आश्रम में दाखिल कर दिया था, जहां उसे शिक्षा के साथ-साथ खान-पान व घरेलू स्वरोजगार के प्रशिक्षण भी दिये जाते थे। संजीवनी बाल आश्रम में दाखिल 70 बालक-बालिकाओं के लिए वामा कार्यकर्ता विकास व वीरेंद्र ने छोटे-छोटे स्वरोजगार प्रशिक्षणों का आयोजन किया। इसके अलावा समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारें में भी जानकारी दी। वामा द्वारा दिये गए निःशुल्क प्रशिक्षण व जानकारी का उद्देश्य बच्चों के भविष्य को संवारने था। कहते हैं कच्ची मिट्टी को आप जिस रूप में ढालें वह उसी में ढल जायेगी। यही रानी के साथ हुआ। उक्त प्रशिक्षण व जानकारी से रानी का बाल मन पर बाल विवाह के दुष्परिणाम छप चुके थे। यही वजह है कि एक दिन उसने खुद को इस कुप्रथा की बलि चढ़ने से बचा लिया। उसकी अपनी बुआ लीलाबाई उसे एक दिन के लिए आश्रम से अपने घर घुमाने के लिए ले गई थी। उन्होंने चंद रुपये के लालच में रानी को फतेहपुर ले जाकर अधेड़ उम्र के एक शराबी-कबाड़ी से उसका विवाह करना चाहा। जागरुक रानी को जैसे ही अपनी बुआ की मंशा का पता चला, उसने तत्काल महिला एवं बाल विकास विभाग की ग्रामीण परियोजना अधिकारी आशालता सिलाकारी को इसकी सूचना दी। श्रीमती सिलाकारी ने तुरंत ही महिला थाने को सूचित कर पुलिस दल के साथ रानी को उसके बताये पते पर बरामद करने की कार्यवाही की तथा दोषी बुआ को दंडित करवाया। अब रानी कस्तूरबा गांधी बाल अनुरक्षण गृह में रह रही है, जहां उसका भविष्य सुरक्षित है।□

कानून तो अंतिम विकल्प है

समाजिक चेतना से तोडें रूढियां

मलती नाथूराम अहिरवार की एकलौती बेटी है। यह लोग खुरई तहसील के बाघरी गांव में रहते हैं, जो जिला मुख्यालय सागर से 40 किमी की दूरी पर स्थित है। वन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इस गांव में अहिरवार व गौंड प्रमुख जातियां हैं। अहिरवार समाज में लड़कियों की शादी औसतन 14 वर्ष में हो जाती है। है। मालती को हाईस्कूल के बाद पढ़ाना उसके पिता नाथूराम के लिए मुश्किल था। उस पर समाज का दबाव भी था कि लड़की सयानी हो गई, अब उसके हाथ पीले करने का सोचो। इन सबके चलते बरोदिया निवासी गणेश अहिरवार के बेटे देवेन्द्र से मालती की शादी तय हो गई। मालती ने अभी कक्षा दस पास की ही थी। उसके लिए यह अप्रत्याशित था कि मात्र 15 साल की उम्र में उसकी शादी हो जायेगी। मलती को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसी दौरान बाघरी में वामा द्वारा सबला परियोजना संचालित की जा रही थी। मालती ने वामा कार्यकर्ता को अपनी समस्या बताई। वामा कार्यकर्ताओं ने मालती के माता-पिता से बात की गई, पर वो शादी तय करने के बाद उसे तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुये। इधर सबला समूह कि महिलाओं द्वारा समाज के लोगों से इस विषय पर चर्चा कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाने लगा। इस परिस्थिति में समाज भी दो समूहों में बंट गया। जैसे-जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, समाज में बहस तेज होने लगी थी। कोई रास्ता न निकलता देख वामा कार्यकर्ताओं ने बरोदिया जाकर मालती के भावी सास-ससुर से बात की। उन्हें बालविवाह के दुष्प्रभाव से अवगत कराया। वामा के इस प्रयास में समाज के सम्मानित लोगों ने भी साथ दिया। अतंतः वह शादी रोकने के लिए राजी हो गये। इस प्रकार बिना किसी कानूनी प्रक्रिया में गये ही मालती की शादी रुक गई।□

मनमोहक नृत्य की असहनीय पीड़ा

वामा ने की जिंदगी को बेहतर दिशा देने की कोशिश

महिलाओं के लगातार संपर्क में रहने से वामा कार्यकर्ताओं ने उनका विश्वास हासिल कर लिया। फिर एक दिन उन्होंने अपनी सारी समस्यायें खुल कर बता दी। उन्होंने बताया कि कई बार नाचते-नाचते पैरों में फैक्चर हो जाता हैं। हमें नृत्य करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जहां हमारे साथ शरीरिक छेड़छाड़ भी होती है। यह सब हमें ठीक तो नहीं लगता, पर मजबूरी बस सहना पड़ता है। यदि हम नहीं नाचेंगे, तो घरवालों की मार खानी पड़ेगी और हमें घर से बाहर निकाल दिया जायेगा।

यह कहानी है सागर जिले के राहतगढ़ ब्लाक में ग्राम चौकी की महिलाओं की। जब वामा कार्यकर्ताओं का इस गांव में परियोजना सबला को लेकर जाना हुआ, उन्हें पता चला कि यहां गंधर्व जाति के लोग राई नृत्य करते हैं। यह नृत्य ही इनकी आजीविका का साधन है, जो पारंपरिक रूप से चला आ रहा है। राई नृत्य वैसे तो देखने में अत्यंत मनमोहक है, लेकिन इसे करते हुए एक महिला को जो सहना पड़ता है, अत्यंत पीड़ादायक होता है। राई नृत्य के इतने अच्छे कलाकार होने के बाद भी इनका सामाज में कोई सम्मान नहीं होता। रही बात शादी की, तो इनकी शादियां नहीं होती। इन्हें तो बस अनौपचारिक रूप से रख लिया जाता है। जो पुरूष इन्हें रखता है, वह इन पर अपना हक समझता है और हर तरह उनका शोषण करता है। यह दुर्दशा किसी एक की नहीं, बल्कि सभी महिलाओं की है। जब ये राई नृत्य करने के लिए सामूहिक रूप मंच पर आती है, तो पुरूषों द्वारा छेड़छाड़, अश्लील इशारों से इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जो एक तरह की हिंसा ही तो है। इस समुदाय में जो किशोर अवस्था की लड़कियां हिंसा का शिकार ज्यादा होती हैं। इन महिलाओं में निरक्षरता तथा अज्ञानता के कारण सामाजिक व आर्थिक सोच विकसित नहीं हो पाती है। इसी के चलते वे नाच को ही अपना कर्म मानकर सब कुछ सहती चली जाती हैं।



ग्राम भ्रमण के दौरान वामा कार्यकर्ताओं की मुलाकात राई नृत्य करने वाली इन सभी महिलाओं से हुई। इ नहीं में से एक लड़की, जिसका नाम ज्योति गंधर्व था, से रश्मि ने नृत्य के दौरान होने वाली परेशानियों के बारे में पूछा। इस पर ज्योति का जवाब था कि हमें कोई परेशानी नहीं होती, यह तो हमारा पेशा है। खैर ज्योति का यह जवाब भी जायज था, क्योंकि वह एक ही मुलाकात में आपबीत किसी अजनबी को कैसे बता सकती थी। हालांकि कार्यकर्ता यह जानती थी कि इनके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंसा हो रही है, लेकिन वे बताना नहीं चाहती हैं। संस्था ने इन महिलाओं का एक समूह गठित किया गया और पैक्स कार्यक्रम से इनको जोड़ दिया गया। महिलाओं के लगातार संपर्क में रहने से वामा कार्यकर्ताओं ने उनका विश्वास हासिल कर लिया। फिर एक दिन उन्होंने अपनी सारी समस्यायें खुल कर बता दी। उन्होंने बताया कि कई बार नाचते-नाचते हमारे पैरों में फैक्चर हो जाता है, तो कई बार गिरने के कारण शरीर मे चोंटें आ जाती हैं। कई बार हमें नृत्य करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जहां हमारे साथ शरीरिक छेड़छाड़ भी होती है। इन असहनीय पीड़ा के बावजूद हम नाचना नहीं छोड़ सकते। यह सब हमें ठीक तो नहीं लगता, पर मजबूरी बस सहना पड़ता है। यदि हम नहीं नाचेंगे, तो घरवालों की मार खानी पड़ेगी और हमें घर से बाहर निकाल दिया जायेगा। हम असहाय व अकेले हो जायेंगे।

यह जाति एक ऐसी प्रताड़ित जाति थी, जिसको समझाना बहूत कठिन था। वामा कार्यकर्ताओं ने भी हार नहीं मानी और बार-बार उनसे मिलते रहे, उन्हें समझाते रहे। आखिरकर ज्योति को बात समझ में आ ही गई। यह वामा कार्यकर्ताओं के लिए बहूत बड़ी सफलता थी।□

प्रेमा, राजाबेटी और किशनदेही

चालीस गांव की महिलायें चलीं आर्थिक संपन्नता की ओर

पितृसत्तात्मक व्यवस्था में मुंह पर घूंघट काढ़े रह रही महिलाओं के हालात पहले जैसे नहीं रह गए हैं। अब तो उनमें कोई प्रेमा, कोई राजाबेटी, तो कोई किशनदेही बन ही गई हैं। दरिद्रता, कुपोषण और गैर-स्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रह रही यह महिलायें भी संगठित रूप से सकारात्मक व रचनात्मक कार्य करके खुद को साबित कर सकती हैं। इस सच्चाई को वामा के प्रयासों ने उजागर कर दिया है।

ग्वालियर जिले से लगे हुए मुरार विकासखण्ड के कुछ हरिजन आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग बाहुल्य गांवों में तीन साल पहले जनसंगठन और समूह बनाने की कवायद शुरू हुई। धीरे-धीरे यह मुहिम एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने लगी थी। विश्वास और अविश्वास के बीच कुछ महिलाओं ने आखिर जोखिम उठाने का निर्णय ले ही लिया। जात-बिरादरी, ऊंच-नीच, अमीर-गरीब, पर्दाप्रथा, घरों से महिलाओं का न निकल पाना जैसी समस्याओं के बीच जीने वाली इन महिलाओं ने हिम्मत से काम लिया और धीरे-धीरे बदलाव के प्रयासों के परिणाम नजर आने लगे। स्थानीय सर्विस एरिया बैंक, तुरारी पर महिलाओं के झुंड के झुंड नजर आने लगे। लोग कौतुहल और आश्चर्य से इन महिलाओं को देखते। जो गांव कभी साहूकारों व सामंतशाही के शिकंजें में जकड़े हुए थे और गरीबी जहां तकदीर सी बन गई थी, वहां की महिलायें आर्थिक संप्रभुता की ओर कदम बढ़ाने लगी थीं।

ऐसी ही एक महिला है, दुबली-पतली, सांवली सी राजाबेटी। तीन साल पहले राजबेटी ने एक-एक कर 15 महिलाओं को जोड़कर लक्ष्मी महिला बचत समूह के नाम से अपना संगठन ग्राम नागौर में बनाया था और आज यक एक ताकतवर संगठन है, जो समूह की महिलाओं को ही नहीं, बल्कि गांव के जरूरतमंद पुरूषों को भी आर्थिक सहायता मुहैया कराता है। आज बैंक मैनेजर भी राजाबेटी को बैठने के लिए अदब से कुर्सी देता है, क्योंकि उसकी अथक मेहनत से ही तो महिलाओं ने 35000 रुपए जोड़ने का करिश्मा करके दिखाया। समूह की महिलाओं ने लक्ष्मी पापड़ के नाम से अपना कारोबार भी शुरू कर दिया है, जिसके आरंभिक नतीजे बहूत ही सुखद हैं। महिलायें महीने में एक बार वामा की मासिक बैठक और अन्य प्रशिक्षणों में शामिल होती हैं। कुछ महिलायें तो जबलपुर, भोपाल, खजुराहों आदि स्थानों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल भी हो आई हैं। उनका आत्मविश्वास देखकर तो पुरूष भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं।

राजाबेटी की तरह ही अडुपुरा गांव की प्रेमा ने महिलाओं को जोड़ना शुरू किया और अब वहां आठ महिला समूह हैं। मतलब एक गांव की ही 120 महिलायें प्रतिमाह 6000/- रुपये स्थानीय सर्विस एरिया बैंक में जमा करने जाती हैं। यहां पर भी कुछ महिलाओं ने आर्थिक गतिविधियां आरंभ की हैं, जिनमें किराने की दुकान, चूड़ी की दुकान, सब्जियों की दुकान, झाड़ू बनाने का कार्य, डलिया बनाने का कार्य आदि शामिल हैं। कुछ ऐसा ही नजारा ग्राम सिकरोदी का भी है, जहां किशनदेही ने नौ समूह बनाये हैं। इस समूह के माध्यम से वह तकरीबन 7000/- रुपय प्रतिमाह बैंक में जमा करा रही हैं या निकालकर आपसी लेनदेन कर रही हैं। यहां की महिलाओं ने मसाला तैयार करके बेचने का और मोमबत्ती निर्माण का काम शुरू किया है। अब तो गांव में आने वाले सभी अधिकारीगण भी किशनदेही को ही पूछते हुए आते हैं। पंचायत में भी उसका सम्मान बढ़ गया है और तो और परिवार में भी उसकी पूछ-परख होने लगी है। गांव की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उसके साथ ही सभी गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण और किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देने जाती है।

यह आग धीरे-धीरे एक गांव से दूसरे गांव तक फैलती गई। अब आसपास के 40 से भी अधिक गांवों में 135 से अधिक बचत समूह बन गये हैं, जिनकी बचत राशि लगभग 2.50 लाख रुपये हो गई है। इनमें से 49 समूहों को बैंक

द्वारा लिंकेज घोषित किया गया है। इन्हें कभी-कभी जरूरत पड़ने पर 5-10 हजार रुपये का लोन की तत्काल स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह महिलायें अब वामा के साथ मिलकर फेडरेशन या महिला बैंक बनाने की तैयारी में हैं। इन्होंने एक महिला क्रांति मोर्चा भी बना लिया है, जिसके माध्यम से महिलायें स्वास्थ्य सुविधायें, शिक्षा, पंचायत में निर्माण कार्य जैसे मामलों के लिए विकासखंड स्तर पर पैरवी का कार्य करती हैं।

आगाज यह है, तो अंजाम क्या होगा। निर्धनता, दमन और कुरीतियों के खिलाफ महिलाओं की यह संगठित लड़ाई अब रोके नहीं रुकेगी। सामाजिक व आर्थिक मान्यता में ग्रामीण महिलायें पुरूषों को पीछे छोड़ रही हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई में आगुआई के लिए तत्पर दिखाई देती हैं। वह जान गई हैं कि सामूहिक शक्ति और विकास क्या है।□

आंखों में आशा के टिमटिमाते सितारे

जल ग्रहण परियोजना ने जगाया आत्म विश्वास

जून के प्रथम पखवाड़े की चिलचिलाती धूप, दोपहर 12.00 बजे का समय, सूरज अग्निबाणों से पृथ्वी के हृदय को दग्ध कर रहा है। हवा में भी सूरज की प्रचंडता घुली हुई है। ऐसे हालात में एक अकेली महिला 10-15 मजदूरों के बीच में मिट्टी खोदने में लगी हुई है। उसके शरीर में इस कड़ी मेहनत का दर्द तो है, लेकिन आंखों में उम्मीद के सितारें भी टिमटिमाते हैं।

कड़ी दोपहरी में जी तोड़ मेहनत कर रही मिथलेश से जब वामा कार्यकर्ता ने पूछा कि इतनी गर्मी में काम कैसे कर लेती हो, तो वह हंसने लगी और बोली काम तो काम है, फिर गर्मी काहे की। मिथलेश रौरा पंचायत के आदर्शपुरा की रहने वाली हैं। उसका अत्यंत गरीब परिवार से है और पति भी उसी की तरह एक मजदूर है। संपत्ती के नाम पर एक टूटा-फूटा मकान भर है। 90 साल पहले परिवार ने 6 बीघा जमीन पर कब्जा किया था, जो आज भी उनके पास है। लेकिन यह भूमि भी असिचिंत हैं और कृषि वर्षा पर निर्भर है। चार साल से अत्यंत कम वर्षा होने के कारण खेती हुई ही नहीं। मिथलेश के परिवार में दो बेटे व दो बेटी हैं। एक बेटी की शादी अभी हाल में ही की है। पशुधन के नाम पर घर में एक गाय है। उसका परिवार गरीबी के दौर से गुजर रहा है। मिथलेश की इच्छा बच्चों को पढ़ाने की तो बहूत है, लेकिन वह क्या करे ?गरीबी पेट की आग बुझाने के अलावा और कुछ सोचने ही नहीं देती। बच्चों की पढ़ाई का खर्च कहां से लाये ?मजदूरी तो गांव में हमेशा मिलती नहीं, महीने में बमुश्किल 10-15 दिन ही काम मिल पाता है।



मिथलेश की पंचायत में सितम्बर माह से वाटरशेड का काम शुरू हुआ। वह भी बैठकों में गई, तो पता चला कि इससे तो गांव की हालत ही बदली सकती हैं। यदि पानी रुक गया, तो जमीन भी सही हो जायेगी और वह अपनी खेती भी कर पायेगी, मजदूरी भी गांव में ही मिल जाया करेगी। मिथलेश पहले से ही समूह के कार्यो से जुड़ी थी। वह गांव के सारे समूहों को संचालित भी सकती थी। साथ ही वह समूह के द्वारा ही छोटा-मोटा काम करने की तैयारी कर रही थी। जब यहां वाटरशेड का काम शुरू हुआ, तो मिथलेश ने अपने पति के साथ यहां काम करना शुरू कर दिया। मजदूरी से जो पैसे मिलते, उससे घर के खर्च के अलावा लड़की की शादी में जो 15000 रुपए का कर्जा लिया था, वह भी चुकता कर दिया। अब मिथलेश कुछ बचत करके

बकरी खरीदने की योजना बना रही थी। साथ ही अपने बच्चों को भी स्कूल भेजने का सोच रही थी।

तीन माह के काम से मिथलेश की आंखों में आशा के सितारे टिमटिमाने लगे। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है। वहीं जीने की नई राहें तलाशने की शुरूआत भी हो गई। अब मिथलेश खुश होकर कहती थी- 'हमारी जमीन अच्छी हो जायेगी, मिट्टी-पानी का प्रबंधन होने से अपने आप हमारा जीवन स्तर सुधर जायेगा।' मिथलेश का यह आत्मविश्वास दर्शाता है कि लोगों के जीवन में दबे पांव बदलाव की शुरूआत हो गई है।□

ग्रामसभा का महत्व अब समझ आया

पंचायती राज से अनभिज्ञ थे लोग

'ग्राम पंचायत क्या होती है?...ग्राम सभा क्या होती है?...इसके सदस्य कौन होते हैं?...अधिकारी कौन होते हैं?...इसके क्या कार्य होते हैं। हमारे गांव में कौनऊ लोग सदस्य, पंच, सरपंच-सचिव नहीं है। हमारे गांव में इतना जरूर है कि हमसे कभी-कभार एक कोरे कागज पर अंगूठा जरूर लगवा लिया जाता है। एक यह पक्का मकान (पंचायत भवन) जरूर बन गया है। यहां पर लोग दिन भर बैठकर ताश खेलते है, बीड़ी-सिगरेट और शराब पीते हैं। शादी-ब्याह के मौके पर बारातियों के ठहरने की व्यवस्था भी इसी भवन में हो जाती है। स्कूल है, पर शिक्षक कभी आता नहीं।'

बसतरी गांव के लोगों पंचायती राज से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। सरपंच, पंच, सचिव उनकी समझ से परे थे। बस्तरी ग्वालियर जिले के मुरार विकासखण्ड के अंतर्गत पक्की सड़क से 13 किमी दूर ऊंचे टीले पर बसा एक गांव है। जब वामा के कार्यकताओं यहां पहुंचे, तो ग्रामीणों के मन में थोड़ी शंका हुई। उन्हें लगा कि कहीं यह बैंक वाले या अन्य कोई सरकारी अधिकारी तो नहीं है, जो हमसे रुपया-पैसा या कोई और जुर्माना वसूलने आये हैं। कार्यकताओं ने जब अपना परिचय और आने का उद्देश्य बताया गया तो ग्रामीणों को थोड़ी राहत मिली। वामा कार्यकर्ताओं ने उनका हालचाल पूछा तथा सरकारी योजनाओं की थोड़ी बहूत जानकारी भी दी। इससे गांव की लगभग आधी आबादी बैठक स्थल पर जमा हो गई। जब वामा कार्यकर्ताओं ने उनसे पंचायती राज के बारे में पूछा, तो उनके उत्तर आश्चर्यजनक था, जो उत्तर कम प्रश्न ज्यादा थे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत क्या होती है... ग्राम सभा क्या होती है...इसके सदस्य कौन होते हैं... अधिकारी कौन होते हैं...इसके क्या कार्य होते हैं?हमारे गांव में कौनऊ लोग सदस्य, पंच, सरपंच सचिव नहीं है अर्थात् वह इन सबसे अनभिज्ञ थे। उन्होंने बताया कि हमारे गांव में इतना जरूर है कि हमसे कभी-कभार एक कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया जाता है। एक यह पक्का मकान (पंचायत भवन) जरूर बन गया है, यहां पर लोग दिन भर बैठकर ताश खेलते हैं, बीड़ी-सिगरेट पीते और शराब पीते हैं। शादी-ब्याह के मौके पर बारातियों के ठहरने की व्यवस्था भी इसी भवन में हो जाती है। स्कूल है, पर शिक्षक कभी आता नहीं।

ठस तरह की भयावह स्थिति को देखते हुए वामा टीम ने इस गांव में पंचायती राज विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में ग्रामीणजनों को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि उनमें उनके क्या अधिकार हैं। साथ ही उन्हें चल रही विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी से दी। अब शुरु हुआ खुद के साथ-साथ के विकास के लिए जनआंदोलन। इसके तहत सचिव, पंच, सरपंच व सदस्यों की पहचान की गई। ग्राम पंचायत की बैठक बकायदा लिखित रूप में की गई। साथ ही शासन से प्राप्त निधि का उपयोग पंचायत स्तर पर किन-किन मदों में किया गया, इसका हिसाब किताब मांगा गया। इस तरह लोग धीरे-धीरे पंचायत और अपने अधिकार के बारे में जानने लगे। आज ग्राम सभा के माध्यम से गांव में दो हैंडपंप, एक ट्यूबवैल, 7 किलोमीटर मुरम की सड़क के साथ एक पुलिया के निर्माण कार्य भी स्वीकृत हो चुके हैं।□

छोटी-छोटी बचत से बड़े प्रयास

स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण

गरीब महिलाओं की समस्यायें कही अधिक जटिल हैं। सामूहिक प्रयास से इन महिलाओं की स्थिति को बदलने की परिकल्पना ही स्वंय सहायता समूह के रूप में सामने आई। महिलायें अपनी छोटी-छोटी बचतों के द्वारा सामूहिक रूप से बड़े प्रयास कर सकती हैं और धन के प्रवाह को सरल बना सकती है। 90 के दशक से शुरू हुआ यह प्रयास जहां कुछ जगह आशातीत रूप से सफल हुआ, वहीं कुछ जगह आपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी है। महिला सशक्तीकरण में सूक्ष्म ऋण ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया है।

विगत कुछ दशकों से महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने और उनके सशक्तीकरण के प्रयास विश्व स्तर पर एक चर्चा का विषय रहे हैं। विश्व की कुल गरीब जनसंख्या में 70 फीसदी महिलायें हैं, जबकि अशिक्षित आबादी में इनकी ताबाद दो तिहाई है। भारत वर्ष में कुल जनसंख्या में करीब 50 फीसदी महिलायें हैं, वहीं श्रमशक्ती में इनकी भागीदारी एक तिहाई है। वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 604 लाख है, जिसमें से 443 लाख लोग ग्रामीण तथा 161 लाख लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। ताजा आकड़ों के मुताबिक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कुल 83.52 लाख परिवार हैं, जिनमें से 36.83 लाख परिवार गांवों में रहते हैं तथा 46. 69 लाख परिवार शहर में रहते हैं।



गरीबी खासतौर पर महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या रही है। वस्तुतः हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली, सभ्यता, संस्कृति के लिए यह एक अभिशाप है। वहीं सर्वेदनशील लोगों के लिए एक चुनौती भी। भारतीय ग्रामीण महिलाओं के विकास के रास्तें में अनेक बाधायें हैं। मसलन उच्चप्रजनन दर, सम्पत्ति अधिकारों का अभाव, अशिक्षा, सामाजिक प्रथायें इत्यादि। इनकी वजह से वे अपना विकास नहीं कर पाती हैं। गरीब महिलाओं की समस्यायें कही अधिक जटिल हैं। सामूहिक प्रयास से इन महिलाओं की स्थिति को बदलने की परिकल्पना ही स्वंय सहायता समूह के रूप में सामने आई। महिलायें अपनी छोटी-छोटी बचतों के द्वारा सामूहिक रूप से बड़े प्रयास कर सकती हैं और धन के प्रवाह को सरल बना सकती है। 90 के दशक से शुरू हुआ यह प्रयास जहां कुछ जगह आशातीत रूप से सफल हुआ, वहीं कुछ जगह आपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका। महिला सशक्तीकरण में सूक्ष्म ऋण ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया है। आंधप्रदेश सहित दक्षिण के कुछ राज्यों में महिला आंदोलनों का उभरना इसका ही एक सर्केत हैं। मध्यप्रदेश जैसे राज्य में यह आंदोलन क्यों सफल नहीं हो पाता, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता हैं। मध्यप्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में ''वामा'' द्वारा किये गये अध्ययन में इस आदोलन की कुछ कमियां उभरकर सामने आई, जो हैं- आय पर वास्तविक रूप में पुरूषों का अधिकार होना, जटिल प्रलेखन व ऋण संबंधी प्रक्रियायें, बैंक अधिकारियों का असवेंदनशील रवैया, उचित प्रशिक्षक व नेतृत्व क्षमता का अभाव, पर्याप्त ऋण की अनुपलब्धता तथा समय पर ऋण की प्राप्ति न होना।

इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जहां एक ओर बैंक की कार्यप्रणाली में बदलाव की आवश्यकता हैं, वहीं दूसरी ओर वैकल्पिक वित्तीय संस्थाओं के गठन भी जरूरी है। ताकि इस आन्दोलन को तीव्र गति मिल सके। वामा ने केश केयर के साथ मिलकर इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिये हैं। चंबल क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयास से वित्तीय संस्थान की स्थापना का यह पहला प्रयास हैं, जिसकी शुरूआत छोटी जरूर हैं, पर विश्वास दृढ़ है कि इससे विकास की दिशायें बदलेंगी। □

वनवासियों पर वन सुरक्षा का दायित्व

वास्तविकता कुछ और ही

जंगल, जंगल की लकड़ी और दूसरे उत्पाद को लेकर वहां रह रहे जनसमुदाय और वन विभाग के बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा है। पिछले कुछ सालों में वन प्रबंधन में जन भागीदारी को लेकर बहुत से प्रयास हुए है, जिसने कई सवालों को भी जन्म दिया। प्रस्तुत घटना इन्हीं सवालों को रेखांकित करती है।

ग्वालियर जिले के विकासखंड भितरवार के अंतगर्त आने वाले ग्राम नयागांव टांका के लोग पिछले दो सालों से सागौन व अन्य जड़ी-बूटियां वाले वृक्षों को बचाने का सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। गांव के तीन-चार परिवार बारी-बारी से दिन-रात जंगल के चारों ओर घूम-घूमकर चौकसी करते रहते हैं। एक रात करीब आधी रात बीत जाने के बाद चौकसी करने वाले सदस्यों ने पडोस के गांव के ही एक दर्जन लोगों को सागौन व अन्य वृक्षों की अवैध कटाई करते हुए पकड़ा। खतरे की घंटी बजी और दर्जनों वन सुरक्षा समिति के सदस्यों ने अवैध रूप से लकड़ी चोरी करने वाले इस दल के तीन लोगों को पकड़ लिया। सुबह तीनों को रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधिकारी ने अवैध रूप से लकड़ी काटने वाले तीनों व्यक्तियों से कुछ व्यक्तिगत सवाल किये और 100 रुपये का जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया।

वामा संस्था के कार्यकर्ताओं को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली। ऐसा पता चला कि पड़ोस के गांव में एक छोटा ठेकेदार कुछ लोगों को मांस-मदिरा का लालच देकर पास के ही संयुक्त वन प्रबंधन से जुड़े जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेज दिया करता था। इधर वन सुरक्षा समिति के सदस्यों का समूह इस घटना से काफी नाराज हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि रेंज वन अधिकारी ने उनसे बातचीत किए बिना ही उन लकड़ी चोरों को छोड़ दिया। गांव के लोग ही वन की सुरक्षा कर रहे हैं और उन्होंने अवैध रूप से लकड़ी काटने वालों को पकड़ा था, तो उन्हें भी पूरी प्रक्रिया में जोड़ा जाना चाहिए था। सागौन और अन्य जड़ी-बूटियों वाले वृक्षों की बहूमूल्य लकड़ी काटने की तुलना में 100 रुपये की मामूली राशि का जुर्माना काफी कम है। वे आश्चर्य में थे कि इस सजा में ऐसा क्या है, जो उन्हें दोबारा ऐसा कृत्य (लकड़ी चोरी) करने से रोक सकेगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब तनाव थोड़ा कम हुआ, तो वन सुरक्षा समिति की एक बैठक बुलाई गई। बैठक में स्वयं सेवी संस्था 'वामा' के प्रतिनिधि ने लोगों को अपने विचार रखने के लिए प्रोत्साहित किया। वामा संस्था यहां स्व-सहायता समूह, महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज सशक्तिकरण, सामुदायिक जल प्रबंध कार्यक्रम जैसी गतिविधियों के माध्यम से तथा गांव में गठित वन सुरक्षा समिति के साथ मिलकर गांव की विकास प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रयासरत है। संस्था के प्रतिनिधियों के कहने पर रेंज वन अधिकारी ने गांव वालों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मेरी 12 वर्षो की नौकरी में ऐसा पहली बार हुआ है, जब गांव वालों ने खुद लकड़ी चोरों को पकड़ा और मेरे पास उन्हें सजा दिलवाने के लिए लाये।

वामा के कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन से गांव वालों ने चोरों पर किए गए जुर्माने और उनसे संपर्क न किए के संबंध में रेंज वन अधिकारी के सामने सवाल रखे। इस खुले माहौल में बातचीत के दौरान रेंज वन अधिकारी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंनें कहा कि यदि गांव वालों से संपर्क करके वे लकड़ी चोरों को कुछ सजा देते, तो भविष्य में दोनों गांवों के बीच विवाद बढ़ जाने की संभावना थी। रेंज वन अधिकारी ने आगे कहा कि उन्होंने तात्कालिक और सामान्य कदम उठाया न कि कोई बहूत बड़ा जुर्माना लगाया। इससे या तो लकड़ी चोर नहीं चुका पाते या लंबी प्रक्रिया के बाद उस जुर्माना को कम कर दिया जाता। तत्काल जुर्माना लगाने और उसे ले लेने से कम से कम दोष और सजा के बीच में एक सीधा संबंध तो स्थापित हो ही गया था। रेंज अधिकारी की इस बात को लोगों द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया। इस तरह रेंज वन अधिकारी के मुद्दे से जुड़ी जटिलताऐं लोंगों की समझ में भी आई। गांव वालों ने रेंज वन अधिकारी से अनुरोध किया गया कि वे ठेकेदार के प्रति कड़ा रुख अपनाये, क्योंकि इसके ठेकेदार ही मुख्यरूप से जिम्मेदार नजर आता है।

वन सुरक्षा समिति ने एक वीरान बंजर सामुदायिक जमीन की रक्षा करके एक बेहतर संसाधन विकसित किया, इस पर पड़ोसियों की नजर थी। इस स्थिति में क्या दो गांवों के बीच विवाद का जन्म होगा ?इस प्रकार के विवादों से किस प्रकार बचा जा सकता है ?क्या इस प्रकार का खतरा लेना उचित था ?इस संबंध में संस्था कार्यकर्ताओं ने मार्गदर्शन दिया कि पड़ोसी गांव के लोगों से इस विषय में विचार-विमर्श कर भविष्य के दुष्परिणामों से बचने के लिए एक बेहतर आपसी समझ विकसित की जानी चाहिये थी।

उद्योगों की जरूरत बन जाने का व्यापक असर वनों और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ा है। चोर पैदा नहीं हो रहे हैं, बल्कि बाजार की मांग और आजीविका के वैकल्पिक स्रोतों की कमी लोगों को चोर बना रही है। अतः इन परिस्थितियों में आदिवासी क्षेत्रो में स्वशासन का कानून प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की गांरटी नहीं देता। □

नई सुबह का आगाज होगा जरूर

भूख से लड़ने वाले बेंदी राम का विश्वास

ग्वालियर जिले के मुरार विकासखण्ड की ग्राम पंचायत रौरा का एक गांव आदर्शपुरा। आदर्शपुरा 56 घरों की एक बस्ती है, जहाँ विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। यहां के अधिकांश परिवारों का स्तर गरीबी रेखा से नीचे या उसके आस-पास है। प्रकृति के निसर्ग के विविध वैभव आदर्शपुरा की गोद में बिखरे हैं निर्मल नाले, पहाड़, वनस्पति, जानवर सभी तो हैं यहां, पर फिर भी यहां के लोग कमजोर, बच्चे कुपोषण का शिकार तथा महिलायें बीमारी और भारी श्रम से खोखले हुए शरीर के साथ जीने को अभिशप्त हैं। इस स्थिति में बेंदीराम का आत्मविश्वास कहता है- 'नई सुबह का आगाज जरूर होगा।'

अब तो मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं'- यह कहते हुए बेंदीराम खुशी व आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहा था। बेंदीराम के परिवार में 5 लड़की और 2 लड़के हैं। कुल आठ व्यक्तियों के इस परिवार के चार बीघा असिंचित भूमि है। असिंचित भूमि के स्वामी बेंदीराम ने अपने परिवार को जीवित रखने के लिए कितना संघर्ष किया, यह याद करते हुए जब वह अपने अतीत को स्पर्श करता है, तो उसके आंसू बह निकलते हैं। वह बताता है कि 20 साल पहले मेरे पिता ने एक कुआं खुदवाया था, जिसमें कर्ज लेकर 18000 रुपये लगाये थे। इस कुएं ने 10 साल तक पानी दिया और फिर कुआ भी सूख गया। इसके बाद खेत में कुछ उपज ही नहीं हुई। पहले 25 मन बीघा की उपज लेने वाला यह परिवार अपने खेतों को बंजर होते हुए देख रहा था। फिर एक बार बेंदीराम ने 260 फुट बोरिंग करवाई, जिसमें 60,000 रुपया खर्च हुआ। इस रकम की व्यवस्था बैंक से कर्ज लेकर की थी। इस बोर से तीन साल ही पानी मिल पाया। आस-पास के खेतों में और गहरे बोर खुदने से पानी का जल स्तर गिर गया था। नतीजतन पिछले साल से सूखे की स्थिति हो गई है और खेतों में कुछ होता ही नहीं है। इससे एक स्वावलंबी परिवार धीरे-धीरे बंधुआ मजदूरी होता जा रहा था।



वामा ने सितम्बर 2004 में इस समस्या से छुटकारा पाने की एक कोशिश शुरू की। संस्था द्वारा रौरा पंचायत में जलागम परिक्षेत्र परियोजना शुरू की गई। बेंदीराम ने भी अन्य लोगों की तरह इसकी बैठकों में हिस्सा लिया। जल संवर्धन, भूमि संरक्षण तथा पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने की बातें सुनकर बेंदीराम को लगा कि अगर ऐसा हो गया तो उसके बोर में पानी जा सकेगा। बेंदी दोगुने उत्साह से परियोजना के प्रचार-प्रसार व इसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में जुट गया। लेकिन केवल आशा से भूख खत्म नहीं हो जाती है। उसे रोटी चाहिए और रोटी के लिए काम की जरूरत थी। जनवरी माह से जल संरचनाओं का निर्माण कार्य शुरू हुआ और बेंदीराम को काम भी मिल गया। बेंदी राम काम से होने वाली आमदनी से अपने परिवार का खर्चा भी उठा रहा था और बच्चों को भी पढाता था। अब वह बच्चियों को भी पढ़ाने के बारे में सोचने लगा है। घर में 15 बकरियां भी हो गई हैं, जिससे थोड़ी बहूत अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। परियोजना कार्य से क्या मिलेगा ?इस प्रश्न पर बेंदीराम हंसता है और कहता है कि आप तो सब जानते हैं। पानी से तो हम सब बंधे हैं। पानी होगा, तो मुझे मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरे खेत का कुंआ भी पानी से भरा होगा और मेरा खेत सुधर जायेगा। इस परियोजना से ही मुझे मजदूरी मिली, वरना मैं कहीं न कहीं बंधुआ मजदूर ही होता ।

यह सिर्फ एक बेंदीराम की कहानी नहीं, बल्कि पूरी रौरा पंचायत की कहानी है। यह तृष्णित धरती की प्यास बुझाने के लिए उठे कदमों की कहानी है। यह कहानी मिल-जुलकर तकदीर से लड़ने की है। बेंदीराम का विश्वास इस लड़ाई में उसे नई रोशनी देगा और आगाज होगा नई सुबह का। □

दूर हुए गिले-शिकवे

एक समझाइश से बन गई बात

2 साल पहले पिंकी अहिरवार पिता कालूराम अहिरवार उम्र 20 वर्ष, निवासी बामोरी का विवाह गोविन्द सिंह पिता हीरालाल शिल्पकार हुआ था। गोविन्द जिला विदिशा की गुलाबगंज तहसील अंतर्गत लेटनी का रहने वाला है। विवाह के कुछ महिनों बाद ही सास बहू में नोक-झोंक शुरू हो गई। सास ने पहले छोटी-छोटी बातों पर बहू को ताने दिये, बहू की बुराई की और उसे बेवजह तंग करने लगी। जब इन सब से भी सास का दिल4 नहीं भरा, तो उसने अपनी बहू पर घिनोने इल्जाम लगाना शुरू कर दिये। पिंकी की सास, पिंकी के पति से यह कहती कि पिंकी के गांव में अन्य पुरूषों से संबंध हैं। पिंकी का पति अपनी मां की बातों में आकर पिंकी को गाली देता और मारपीट भी करता था। धीरे-धीरे इन्हीं बातों को लेकर पिंकी के जेठ-जेठानी ने भी पिंकी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। पिंकी पर ससुराल में हद से शक किया जाने लगा। उसे कभी भी घर से नहीं निकलने दिया जाता था। यहां तक कि उसे शौच लिए भी नहीं जाने दिया जाता था और यह आरोप लगाया जाता था कि वह शौच के बहाने किसी दूसरे आदमी से मिलने जाती है। हालात इतने बिगड़ गए कि पिंकी को परिवार में सास, जेठ-जेठानी और पति कोई भी, कभी भी, किसी भी बात पर मारने-पीटने और गाली देने लगते। पिंकी लगभग असहाय सी हो गई थी और ऐसे ही हालात में उसने पूरा एक साल ससुराल में काटा। जब हालात बेकाबू हो गए, तो पिंकी ने यह बात अपने मायके वालों को बताई। पिंकी के माता-पिता ने पिंकी के पति को कई बार समझाया कि वह ऐसा न करे, लेकिन वह नहीं माना। इन सब से परेशान होकर पिंकी की मां ने उसे ससुराल भेजने से मना कर दिया और अपनी समस्या सबला समूह को बताई। सबला समूह की महिलाओं ने यह समस्या वामा के एनिमेटर रामकरण अहिरवार को बताई। इसके बाद वामा के पैरवी समन्वयक शैलेन्द्र वर्मा पिंकी से मिले तथा उसकी पूरी दास्तां सुनी। वामा कार्यकर्ता ने मामले को ग्राम स्तर पर सुलझाने का निर्णय लिया और पिंकी के मायके वालों की तरफ से पिंकी के पति को एक संदेश भिजवा कर बुलवाया गया। इस पर 19 जुलाई 2007 को पिंकी का पति बामोरी पहुंचा। साथ ही वामा कार्यकर्ता भी बामोरी पहुंचे। समझौते के दौरान वामा के पैरवी समन्वयक, क्रियान्वयन समनवयक, कार्यक्रम प्रबंधक तथा वामा के एनिमेटर मुन्ने खा व रामकरण उपस्थित थे। साथ ही गांव के पटेल, सबला समूह की महिलाएं व अन्य प्रबुद्धजन भी उपस्थित थे। बैठक में पहले पति और पत्नी दोनों के पक्ष को सुना गया और उन कारणों को जानने का प्रयास किया गया, जिनके कारण घर में झगड़ा होता था। इसके बाद दोनों को समझाया गया। इस दौरान पति ने अपनी गलती कबूल करते हूए यह विश्वास दिलाया कि वह भविष्य में पिंकी के साथ मारपीट नहीं करेगा और उसे अपने साथ रखेगा। यही नहीं उसने यह बातें स्टाम्प पेपर पर लिखकर दी। इस प्रकार वामा के प्रयास से पिंकी खुशी-खुशी अपने घर वापस चली गई। □

दौलतमंद गरीब

गरीबी रेखा सर्वे में धांधली का पर्दाफाश

भ्रष्टाचार व्यवस्था की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संरचना में अपनी जड़ें जमा चुका है। अब गरीबी रेखा सूची को ही लीजिए। इस सूची में शामिल ऐसे गरीब भी आपको मिल जायेंगे, जो आर्थिकतौर पर सुदृढ़ हैं और बैखोफ सरकारी की इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

देरखी, गंजबसौदा से 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित एक छोटा गांव है। इस गांव में वामा संस्था द्वारा सबला परियोजना के तहत कुछ स्वसहायता समूह बनाये गये हैं। गांव में गरीबी रेखा के सर्वे मे व्यापक स्तर पर धांधली हुई। गरीबी रेखा सूची में उन लोगों के नाम भी शामिल हो गए, जो गांव के काफी सम्पन्न लोगों में गिने जाते हैं। दूसरी तरफ कई वास्तविक हितग्राहियों के नाम इसमें शामिल ही नहीं किये गये। सबला समूह की महिलाओं ने गांव की अन्य सभी महिलाओं को संगठित कर इस मामले पर गंभीरता से विचार किया। 10 मई 2007 ग्रामसभी

हुई, जिसमें मुद्दा उठाया गया कि गरीबी रेखा सूची में कुछ ऐसे लोंगों के नाम भी शामिल हैं, जो वास्तव में हितग्राही नहीं है। वहीं वास्तविक हितग्राहियों का नाम इस सूची में शामिल नहीं है। अतः गांव में गरीबी रेखा का सर्वे फिर से कराया जाये। ग्रामसभा में महिलाओं ने सर्वे फिर से कराये जाने के लिए एक प्रस्ताव पास करवाया। इस संबंध में जब अखबारों में खबर छपी, तो प्रशासन के कानों तक बात पहुंची। परिणामस्वरूप देरखी में फिर से गरीबी रेखा का सर्वे हुआ और छूटे हुए 22 अन्य हितग्राहियों के नाम इसमें शामिल किये गये।□

गरीबी की मौत मरी मरीबाई

गरीबी अपने आप में एक अभिशाप है और इस पर अगर पर्याप्त सुविधायें नदारत हों, तो व्यक्ति का जीना मुहाल हो जाता है। यही तो हुआ मरीबाई के साथ। गरीबी, बीमार और स्वास्थ्य सुविधा की बदतर हालत। कैसे जी पाती वह, उसे तो हर हाल में मरना ही था। आत्महत्या नहीं करती, तो घुट-घुटकर मर जाती।

मरी बाई के एक संपन्न परिवार में जन्मीं लकड़ी थी, लेकिन पति की आर्थिक स्थिति ठीक ने होने के कारण उसने गरीब को बहूत करीब से देखा। पति के 3 भाई थे और ससुर आर्थिकरूप से कमजोर। बंटवारे में पति के हिस्से सिर्फ दो एकड़ जमीन (कृषि भूमि) आई, जो चार बच्चों सहित छह लोगों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं थी। उनकी आय का कोई और साधन नहीं, इसलिए गृहस्थी का सारा बोझ कृषि के सारे जैसे-तैसे उठाया जा रहा था। कभी हंसमुख और मिलनसार दिखने वाली मरीबाई चिंता और गरीबी में आधे पेट खाना खाते हुए कब टीबी जैसी बीमारी का शिकार हो गई, उसे पता ही नहीं चला। बीमारी, गिरता स्वास्थ्य, गरीबी और उस पर पति के उपेक्षित व्यवहार ने मरीबाई को इस कदर झकझोर दिया कि उसमें जीने की चाह ही नहीं रही। अंतोगत्वा मरीबाई की इस संघर्ष यात्रा का अंत जनवरी 2006 में हो गया। एक सुबह अखबार में छोटी खबर छपी कि मरीबाई निवासी दरारिया ने बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस थाना विवेचना के अनुसार मरीबाई की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई और इसके पीछे कारण उसकी बीमारी थी। जब वामा कार्यकर्ता विकास एंव हरिशरण ने व्यक्तिगत तौर पर जानकारी निकाली, तो पता चला कि पर्याप्त सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरी बाई की मौत हुई है। उन्होंने इस संबंध में खंड चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया। इस पर खंड चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि न तो इस तरह का कोई मरीज अस्पताल में आया और न किसी भी प्रकार की कोई सूचना हमारे पास है। लेकिन जब उन्हें उपस्वास्थ्य केंद्र की पर्ची व अन्य जांच दस्तावेज दिखाये गये, तो वे निरुत्तर हो गये। अंततः वामा कार्यकर्ताओं ने जिला स्वास्थ्य एंव चिकित्सा अधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखकर कठोर कार्यवाही के साथ मृतका के परिवार वालों को क्षतिपूर्ति हेतू निवेदन किया।□

कतरन



विदिशा। महिला हिंसा एवं कानूनी प्रावधान पर आधारित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करती जनपद अध्यक्ष श्रीमती ज्योति शाह।



थाना एंव परिवार परामर्श के भ्रमण

पुलिस प्रशासन से रूबरू हुई महिलाएं



थाना एंव परिवार परामर्श के भ्रमण

पुलिस प्रशासन से रूबरू हुई महिलाएं



महिला हिंसा पर राज्य स्तरीय कार्यशाला

विदिशा. स्वयंसेवी संगठन वाला महिला विकास समिति वामा ने महिला हिंसा एवं कानूनी प्रावधान विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन विदिशा में किया गया. इस कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण अंचल की महिलाओं को महिला हिंसा से संबंधित वैधानिक प्रावधानों की जानकारी देना एवं जनसंगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच सीधा संवाद स्थापित कर उन्हें इस संबंध में सशक्त कर उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति संवेदनशील बनाना था. कार्यशाला का शुभारंभ जनपद अध्यक्ष श्रीमती ज्योति शाह ने दीप प्रज्वलित कर किया.

वामा की अध्यक्ष श्रीमती सरोज चौधरी चतुर्वेदी ने संस्था का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा कि संस्था सन्न विलंबे 12 वर्षों से विदिशा जिले के ग्रामीण अंचलों में महिला हिंसा के विरुद्ध कार्य कर रही है. साथ ही पिछले एक वर्ष से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है. इसके पश्चात आज के सत्र में न्यायाधीश एवं विधिवेत्ताओं के प्रतिनिधियों ने महिला हिंसा एवं कानूनी प्रावधानों पर अपने विचार रखे.

कार्यशाला के दौरान वक्ताओं ने महिला घरेलू हिंसा अधिनियम पर मुख्य रूप से चर्चा की गई. साथ ही ग्रामीण अंचलों में महिला हिंसा के प्रकरणों को सुलझाने हेतु विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली कार्यवाही एवं वहां विद्यमान प्रक्रियाओं संबंधी नई जानकारी एवं अधिकार दिलाने संबंधी कई बातें भी हुई. कार्यशाला में श्रीमती पार्वती मिश्रा सहायक संचालक, समाज कल्याण, श्रीवास्तव समाजशास्त्र परास्नातक महाविद्यालय एवं एस. श्रीवास्तव सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित थे. कार्यशाला में वामा की सदस्याओं संध्या चतुर्वेदी महिला मंडल एवं मार्गदर्शक श्याम एवं सविता कुलश्रेष्ठ समिति का भी विशेष सहयोग रहा. धन्यवाद ज्ञापन सचिव शिल्पा दीक्षितकर एवं आभार प्रदर्शन वर्षा ने किया.



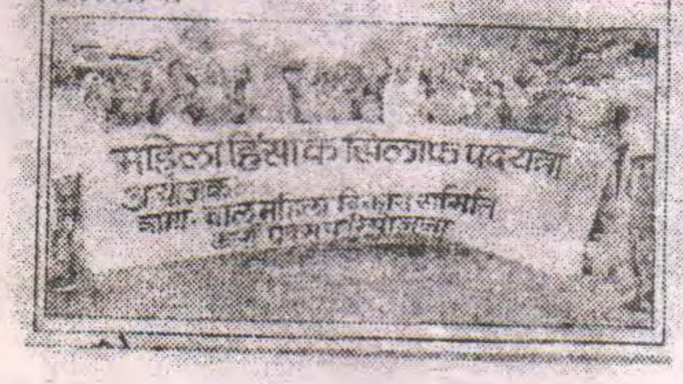
थाना एंव परिवार परामर्श हेतु भ्रमण

हिंसा के खिलाफ महिलाओं की पदयात्रा

क्षेत्रीय संवाददाता, जंजगीरचांपा

स्वयं सेवी संगठन वाला महिला विकास समिति वामा विदिशा के तत्वाधान में महिला हिंसा के खिलाफ एक पदयात्रा का आयोजन खालपठार की महिलाओं ने किया। इस पदयात्रा के माध्यम से महिलाओं को अपने खिलाफ होने वाली हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर मानसिक रूप से सशक्त करने का संदेश समाज में पहुंचाने का प्रयास किया गया।

यह पदयात्रा ग्राम खालपठार से प्रारंभ हुई जो कि मल्हारगंज मार्ग होते हुए देवखो में समाप्त होगी। अतः महिला विकास समिति विगत तीन वर्षों से गंजबासौदा के 10 गांवों में महिला हिंसा के खिलाफ कार्य कर रही है, जिसके लिए महिला स्वसहायता समूहों का गठन कर उन्हें सशक्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जाते हैं। अतः इसी कड़ी में गांव की महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आज पदयात्रा करने का प्रशिक्षण भी साथ खालपठार, खालौपठार तथा बैदमखेड़ी में दिया गया। विशेष साथ गांव की पीड़ित महिलाओं से उठाया। आगामी चार दिनों में ग्राम धैलोट, इन्दौरा, फतीपुर, देवरी, खाखोरी एवं खालपुर में भी आगवनी बनाने का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जायेगा। पदयात्रा एवं प्रशिक्षण के दौरान वामा संस्था अध्यक्षा सैलेन्द्र दमई, दिशा जागरूकता नाम प्रशिक्षण कार्यकर्ता सोनवती आरख डाले, दिवा रहीकार आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।



— वामा के प्रयासों का यथार्थ —

हमारे बारे में .....

पृष्ठभूमि :

उत्तरी मध्यप्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों और नागर समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी को पहुँचाने की आवश्यकता को महसूस करते हुये वामा की स्थापना की गई इस कार्य में विकास प्रक्रिया से जुड़े अनेक व्यक्तियों/संगठनों का सहयोग समय-समय पर हमें मिलता रहा और संस्थागत रूप से इसका विकास धीरे-धीरे ही सही पर होता रहा है। पिछले वर्षो की विकास यात्रा ने वामा को अनेकों अनुभवों के आधार पर सीख निर्मित करने का मौका मिला है। वर्तमान में "वामा" सामुदायिक संगठन, जलग्रहण क्षेत्र विकास, पंचायती राज सशक्तिकरण, बालश्रम उन्मूलन, स्व-सहायता समूह, प्रजनन एंव शिशु स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, जेण्डर इक्वीलिटी, जल एवं स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, शोध एंव अध्ययन जैसी गतिविधियों में संलग्न है।

जानकारी :

"वामा" बाल-महिला विकास समिति एक स्वतंत्र, अलाभकारी और गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्था है जिसका पंजीयन मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सन् 1973 के क्रमांक 44 के अधीन 14 दिसम्बर 1988 में हुआ साथ ही एफसीआरए एक्ट में भी रजिस्टर्ड है। 'वामा' इन्कम टेक्स एक्ट के तहत 12-ए एवं 80-जी के अतंर्गत भी करमुक्त है। वामा क्रेडिटीविलिटी ऑफ इंडिया एवं वाणी (वालंटरी एक्शन नेटवर्क ऑफ इंडिया की सदस्य भी है। "वामा" ग्राम एंव नागर समाज के विभिन्न मुद्दो पर स्थानीय लोगों के साथ मिल-जुलकर कार्य कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है अधिकार संपन्न, समानता एंव सहभागिता आधारित समाज की स्थापना करने के लिये प्रयास करना।

नजरिया :

हमारा सपना "अधिकार संपन्न समानता एंव सहभागिता आधारित समाज की स्थापना करने के लिये बदलाव का प्रयास करना है।"

रणनीति :

"वामा" का उद्देश्य सहभागी विकास सहित अधिकार और समानता आधारित समाज को स्थापित करना है ताकि समाज के गरीब, दलित एंव उपेक्षित वर्ग की सभी स्तरों पर हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके।

कार्यक्षैत्र :

हम वर्तमान मे मध्यप्रदेश के ग्वालियर-चंबल एंव बुंदेलखण्ड के चुने हुए जिलों में सीधे विभिन्न विकास कायक्रमों के माध्यम से कार्यरत है तथा प्रदेश स्तर पर चुनिंदा कार्यशालाओं एवं समान विचारधारा वाले सहयोगी संगठनों के माध्यम से सक्रिय है और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सहयोगी संगठनों के साथ जुडकर बदलाव की प्रक्रिया को तेज करने के लिये प्रयासरत है।





हमारा पता है :

9-सी, महाराणा प्रताप नगर, जीवाजी क्लब के पास, लश्कर, ग्वालियर -474011
(म०प्र०) भारत, दूरभाष : 0751-2457438
ई-मेल : vama1988@rediffmail.com bmvs1988@yahoo.com
web site : //http www.bmvs.org

Printed by : Achal Mob. : 98275-47035